



सत्यमेव जयते



निपटारा पुस्तिका SETTLEMENT BOOKLET



Service with smile

मध्य रेल
CENTRAL RAILWAY
पुणे मंडल
PUNE DIVISION

देवेन्द्र कुमार शर्मा
महाप्रबंधक

Devendra Kumar Sharma
General Manager



मध्य रेल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस,
मुंबई - 400 001.

CENTRAL RAILWAY
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS
MUMBAI - 400 001



दिनांक : 31.12.2018

संदेश

मुझे यह जानकार अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मध्य रेल के पुणे मंडल द्वारा कर्मचारियों की जानकारी एवं लाभ हेतु विभिन्न पुस्तिकाएं जैसे- 'स्थापना प्रश्न-मंच' (Establishment Question Bank), नवनियुक्त कर्मचारियों को रेल संबंधी प्राथमिक नियमों की जानकारी हेतु 'स्वागत पुस्तिका', सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 'निपटारा पुस्तिका' एवं 'वरीयता सूची' को प्रकाशित किया जा रहा है। साथ ही, यह पुस्तिकाएँ एवं अन्य सुविधाएँ 'railkarmikseva' App एवं 'www.railkarmikseva.in' पोर्टल पर उपलब्ध कराना पुणे मंडल का Digital India की ओर एक सराहनीय कदम है।

रेल प्रशासन अपने कर्मचारियों के हितों को लेकर सदैव तत्पर रहा है। इन पुस्तिकाओं के माध्यम से नव-नियुक्त कर्मचारी, कार्यरत कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे। मुझे आशा है कि कर्मचारियों के हित में किए जा रहे इन कार्यों का सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा।

उक्त पुस्तिकाओं के सफल प्रकाशन के लिए मैं पुणे मंडल का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।

(देवेन्द्र कुमार शर्मा)
महाप्रबंधक

31.12.2018



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / Government of India
रेल मंत्रालय / Ministry of Railways
मध्य रेल / Central Railway

एन. स्वामिनाथन आय. आर. पी. एस.
प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

N. Swaminathan I.R.P.S.
Principal Chief Personnel Officer

प्रधान कार्यालय / Headquarters' Office,
कार्मिक विभाग / Personnel Department,
मुंबई छ.शि.ट. / Mumbai CST 400 001.



संदेश

कार्मिक विभाग, पुणे मंडल निरंतर कर्मचारियों के हित में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयासरत रहा है। इसी कड़ी में 'स्थापना प्रश्न-संच' का प्रकाशन पुणे मंडल द्वारा किया जा रहा है। यह प्रश्न संच कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा के अध्ययन के लिये काफी सहायक होगा।

किसी भी संगठन में पदार्पण करने के पश्चात प्रत्येक कर्मचारी को उस संगठन द्वारा दी जाने वाली सुविधा एवं संगठन के नियमों की संपूर्ण जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। कर्मचारियों की इस आवश्यकता को देखते हुए पुणे मंडल द्वारा नव-नियुक्त कर्मचारियों के लिए 'स्वागत पुस्तिका' का प्रकाशन किया जा रहा है उसी तरह कार्यरत कर्मचारियों की 'वरीयता सूची' एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जानकारी एवं उपयोग हेतु 'निपटारा पुस्तिका' का प्रकाशन भी किया जा रहा है।

'स्वागत पुस्तिका' एवं 'निपटारा पुस्तिका' के माध्यम से नव-नियुक्त कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रेल सेवा के नियमों तथा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी मिल सकेगी जिसका वे भविष्य में लाभ उठा सकेंगे।

पुस्तिकाओं में शामिल जानकारी रेलवे बोर्ड/मध्य रेल मुख्यालय द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं, परिपत्रों और नियमों पर आधारित हैं।

पुस्तिका प्रकाशन के लिए मैं मंडल रेल प्रबंधक तथा कार्मिक विभाग, पुणे को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

(एन. स्वामिनाथन)

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
मध्य रेल, मुंबई छशिमत

मिलिंद देऊस्कर (आईआरएसएस)

मंडल रेल प्रबंधक

MILIND DEOUSKAR (IRSS)
Divisional Railway Manager



मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
पुणे मंडल, मध्य रेलवे, पुणे 411 001.
Office of the Divisional Railway Manager
Pune Division, Central Railway, Pune - 411 001.

Tel (BSNL) : 020 - 26137400 | Rly.: 55000

संदेश



पुणे मंडल का कार्मिक विभाग सदैव ही अपनी विविधतापूर्ण कार्य - शैली से हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है। पुणे मंडल में नव-नियुक्त कर्मचारी, कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रख कर बनाई गई 'स्वागत पुस्तिका' 'सेटलमेंट पुस्तिका', 'वरीयता सूची' एवं 'अस्थापना प्रश्न-संच'का प्रकाशन कार्मिक शाखा की एक और उपलब्धि है।

इन पुस्तिकाओं को 'railkarmikseva' App एवं 'www.railkarmikseva.in' पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया गया है।

मेरा मानना है कि रेल प्रशासन में रेलों के सुरक्षित संचालन का जितना महत्व है उतना ही महत्व इस संचालन के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारियों के हितों के संबंध में आवश्यक और उपयोगी जानकारी को सहजता से उपलब्ध कराना भी है ।

इस कार्य को पूर्ण करके महाप्रबंधक महोदय के कर-कमलों से इस पुस्तिका का विमोचन करने के लिए कार्मिक विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित ।

(मिलिंद देऊस्कर)

प्रफुल्ल चन्द्रा (भा.रे.वि.इं.से.)

अपर मंडल रेल प्रबंधक

PRAFULLA CHANDRA (IRSEE)
Additional Divisional Railway Manager



मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
पुणे मंडल, मध्य रेलवे, पुणे 411 001.
Office of the Divisional Railway Manager
Pune Division, Central Railway, Pune - 411 001.

Tel (BSNL) : 020 - 26141100 | Rly.: 55002



संदेश

किसी भी संगठन के लिए उसका मानव संसाधन ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। मुझे प्रसन्नता है कि पुणे मंडल की कार्मिक शाखा द्वारा एक नई पहल करते हुए सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में 'अस्थापना प्रश्न संच', 'स्वागत पुस्तिका' 'सेटलमेंट पुस्तिका' एवं 'वरीयता सूची' का प्रकाशन किया जा रहा है।

डिजिटल इंडिया अभियान तथा कागज रहित कार्यालय की संकल्पना को लागू करने के लिए सभी पुस्तिकाएँ कार्मिक विभाग द्वारा विकसित किए गए 'railkarmikseva' App एवं 'www.railkarmikseva.in' पोर्टल पर उपलब्ध कराने के यशस्वी कार्य के लिए मैं कार्मिक विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों की सराहना करता हूँ एवं हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

प्रफुल्ल चन्द्रा
31/12/18

अपर मंडल रेल प्रबंधक, पुणे



भारत सरकार / Government of India
रेल मंत्रालय / Ministry of Railways

डॉ. शिंदे तुशाबा, आय.आर.पी.एस.
वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी

Dr. Shinde Tushaba, I.R.P.S
Sr. Divisional Personnel Officer



मनोगत

मध्य रेल कार्यालय
पुणे मंडल

Central Railway Office
Pune Division

श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा जी, महाप्रबंधक महोदय द्वारा वार्षिक निरीक्षण के दौरान नव-नियुक्त कर्मचारियों के लिये 'स्वागत पुस्तिका', 'स्थापना प्रश्न-संच', 'सेटलमेंट पुस्तिका' एवं 'वरीयता सूची' का विमोचन करने के लिए आपको सौंपने का हमें सौभाग्य मिला है इसलिए हम महाप्रबंधक महोदय के अत्यंत आभारी हैं।

हमारे प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी श्री एन. स्वामिनाथन सर हर समय हमें मार्ग दर्शन करते हैं। इस कार्य के लिए भी उन्होंने हमें मार्गदर्शन एवं प्रेरणा दी है। इसलिये कार्मिक विभाग की तरफ से सर का हम आभार व्यक्त करते हैं।

साथ में श्री मिलिन्द देऊस्कर, मंडल रेल प्रबंधक का मार्गदर्शन हमारे लिए सदैव प्रेरणादायी होता है। इन पुस्तिकाओं के प्रकाशन में भी उनका अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग मिला है। इसके लिये हम मंडल रेल प्रबंधक के आभारी हैं।

अपर मंडल रेल प्रबंधक का मार्गदर्शन पुस्तिकाएँ पूर्ण करने में बहुमूल्य रहा। इसके लिये हम अपर मंडल रेल प्रबंधक के भी हम कृतज्ञ हैं।


'स्थापना प्रश्न-संच' के प्रकाशन में श्री यू. सी. बोडके, मंडल कार्मिक अधिकारी, 'वरीयता सूची' के प्रकाशन में श्री एस. वी. ठाकूर, सहायक कार्मिक अधिकारी, 'स्वागत पुस्तिका' एवं 'सेटलमेंट पुस्तिका' के प्रकाशन में श्री सुनिल ठाकूर एवं श्री रमेश अय्यर, सहायक कार्मिक अधिकारी का विशेष योगदान प्रशंसनीय है।

इन पुस्तिकाओं के प्रकाशन के लिए श्री विश्वामित्र वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी का अमूल्य योगदान रहा है जिसके लिए उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं।

कार्मिक विभाग के सभी कर्मचारियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दिये गये योगदान के लिए मैं आभारी हूँ।

यह सभी पुस्तिकाएँ 'railkarmikseva' App एवं 'www.railkarmikseva.in' पोर्टल भी उपलब्ध कराई गई है जिससे इन पुस्तिकाओं का उपयोग संपूर्ण रेल के कर्मचारी कर सकते हैं।

धन्यवाद,


31/2/24
डॉ. शिंदे तुशाबा
वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, पुणे

मध्य रेल



पुणे मंडल

निपटारा पुस्तिका

संरक्षक

श्री मिलिन्द देऊस्कर

मंडल रेल प्रबंधक

मार्गदर्शक

श्री प्रफुल्ल चंद्रा

अपर मंडल रेल प्रबंधक

संपादक

डॉ. शिंदे तुशाबा

वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी

सह संपादक

श्री उत्तमराव बोडके

मंडल कार्मिक अधिकारी

श्री रमेश आर. अय्यर

सहायक कार्मिक अधिकारी(कल्याण)

श्री सुनिल ठाकूर

सहायक कार्मिक अधिकारी (यांत्रिक)

विशेष सहयोग

श्री विश्वमित्र

वरि. राजभाषा अधिकारी,

एवं

सहयोग

कार्मिक विभाग के समस्त कर्मचारी

एवं अन्य सहयोगी कर्मचारी

विषय सूची

क्र.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	परिचय	2
2	सामान्य / स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के अंतर्गत लाभ	2
3	अर्हक सेवा / गैर- अर्हक सेवा	3
4	उपदान	3
5	पेंशन	5
6	पेंशन का कम्प्यूटेशन	8
7	पेंशन का संशोधन	9
8	छुट्टी वेतन	9
9	भविष्य निधि	10
10	सीजीईजीआईएस (केन्द्र सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना)	11
11	चिकित्सा सुविधाएं	11
12	राष्ट्रीय पेंशन योजना	13
13	सेवा निवृत्ति के पश्चात मानार्थ एवं विशेष पास	13
14	कंपोजीट ट्रांसफर ग्रांट (सीटीजी)	16
15	सेवा निवृत्ति के बाद रेल आवास रोकना	17
16	अवकाश गृह	17
17	'योगा' एक जीवन शैली	18
18	स्वास्थ्य के उपाय	19
19	सेवा निवृत्ति के बाद बचत और निवेश	20
20	बार - बार पूछे जाने वाले प्रश्न	21

जो आपको अवश्य जानना चाहिए

इस पुस्तिका में उन सभी क्षेत्रों जो पेंशन नियम जैसे कि उपदान की गणना, पेंशन का कम्प्यूटेशन, परिवार पेंशन, अर्हक सेवा, गैर- अर्हक सेवा, नामांकन, सेवा निवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाले लाभ जैसे छुट्टियों नकदीकरण, सामूहिक बीमा योजना, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांड, सेवा निवृत्ति के बाद पास का उपयोग तथा चिकित्सा लाभ, स्वास्थ्य के उपाय और सेविंग एवं बार - बार पूछे जाने वाले प्रश्न आदि से संबंधित हैं उनको शामिल किया गया है।

पेंशन नियम लागू होंगे:-

- ❖ कर्मचारी जो 06.11.1957 को अथवा इसके बाद सेवारत थे और जिन्होंने पेंशन के पक्ष में विकल्प दिया था।
- ❖ वे सभी कर्मचारी जो 01.01.1986 को एसआरपीएफ के (अंशदायी) नियमों के अंतर्गत शासित नहीं हैं
- ❖ यह पेंशन योजना केवल उन कर्मचारियों पर लागू होगी जिनकी नियुक्ति 31.12.2003 तक हुई है तथा उनके लिए लागू नहीं होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से शासित है जिसे 01.01.2004 से लागू किया गया है।

सेवानिवृत्ति:

जो रेल कर्मचारी आधिवर्षिता की आयु पूरी कर 60 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त होंगे। कुछ रेल कर्मचारी सामान्य सेवा निवृत्ति से पहले 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्ति का विकल्प देते हैं। इन सेवा निवृत्तियों के अलावा कुछ रेल कर्मचारी चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ (सभी वर्गों में चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ घोषित) रेल कर्मचारी और कुछ आकस्मिक स्थितियों में रेल सेवक त्याग-पत्र, बरखास्तगी अथवा मृत्यु के कारण रेल सेवा के पात्र नहीं होते हैं। इस तरह विभिन्न प्रकारके निपटान/ मृत्यु लाभ होते हैं जो ऐसी सेवा निवृत्तियों / चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ कर्मचारियों / मृत रेल सेवकों के आश्रितों पर लागू होते हैं।

सामान्य / स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के अंतर्गत लाभ:-

- i) मासिक पेंशन
- ii) सेवा निवृत्ति उपदान
- iii) पेंशन का कम्प्यूटेशन (कम्प्यूट किया गया हिस्सा 15 वर्ष के बाद पूर्ण होगा)
- iv) सामूहित बीमा (बचत निधि मूल्य व्याज सहित)
- v) अर्जित सवेतन / औसत अर्ध वेतन उपयोग में न लाई गई छुट्टियों के बराबर नकद राशि।
- vi) कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की गई राशि।
- vii) कंपोजिट ट्रांसफर अनुदान
- viii) स्वर्णपत्र चढा चांदी का मैडल।
- ix) क्विट पास तथा निपटारा पास।
- x) सेवा निवृत्ति के बाद पास।
- xi) आरईएलएचएस 1997 के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाएं।
- xii) रेल आवास को (4) + (4) महीने के लिए रोकना।
- xiii) अवकाश गृहों / अधिकारी विश्राम गृह में ठहरने का लाभ।

कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को दिए जाने वाले लाभ:-

- i) मृत्यु उपदान
- ii) मासिक परिवार पेंशन
- iii) कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा राशि
- iv) डिपॉजिट लिक्ड बीमा
- v) सामूहिक बीमा (पूरी बीमा वैल्यूव + वचन निधि वैल्यूव ब्याज सहित)
- vi) उपयोग न की गई अर्जित वेतन छुट्टी / औसत अर्ध वेतन छुट्टी के बराबर नकद राशि
- vii) विधवा पास
- viii) चिकित्सा सुविधाएं
- ix) रेल आवास रोकना (1+1) दो वर्ष की अवधि के लिए
- x) अनुकंपा आधार पर नियुक्ति

अर्हक सेवा / गैर-अर्हक सेवा

- कार्य के दौरान प्रदान की गई सेवा अर्हक सेवा है।
- वेतन सहित सभी प्रकार की छुट्टी, प्रशिक्षण अवधि, कार्य ग्रहण समय, रेलवे में नियोजन से पहले प्रदान की गई सैन्य सेवा जो निर्धारित शर्तों के अधीन होंगी।
- अस्थायी पद की 50% सेवा को नियमित समावेशन के लिए नैमित्तिक मजदूरों और ईएलआर सेवाओं में अर्हक सेवा माना जाएगा।
- गैर - अर्हक सेवा में अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति, असाधारण छुट्टी जो चिकित्सा आधार के बिना ली गई हो, निलंबन अवधि का नियमन ना होना, भुगतान बिना विदेश सेवा अंशदान होंगे।
- स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के मामले में अर्हक सेवा में गणना के लिए पांच वर्ष की अधिमान अवधि नहीं जोड़ी जाएगी।

उपदान:-

सेवा निवृत्ति उपदान:- यह एकमुश्त राशि रेल सेवक को उसकी सेवा निवृत्ति अथवा चिकित्सकीय रूप से अयोग्य होने पर प्रदान की जाती है। सेवा निवृत्ति उपदान निम्नलिखित को देय होगा।

- वे रेल कर्मचारी जो पांच वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर चुके हैं उन्हें सेवा निवृत्ति उपदान पूरे किए गए प्रत्येक छः महीने की सेवा अवधि का ¼ की दर से भुगतान किया जाएगा जो अधिकतम 16 ½ होगा।
- दिनांक 01.01.2016 से अधिकतम देय राशि रू.2000000/- होगी।
- उपदान के लिए अधिकतम अर्हक सेवा 33 वर्ष होगी।

गणना का फार्मूला

उदाहरण 1 - (गैर - रनिंग कर्मचारी)

यदि लेवल 8 में अंतिम वेतन रू. 70000/- लिया गया है तथा मंहगाई भत्ता 9% हैं तथा अर्हक सेवा सेवा निवृत्ति के समय 33 वर्ष हैं तो सेवा निवृत्ति उपदान निम्नानुसार होगा-

$$\begin{aligned}\text{उपदान} &= (\text{ लिया अंतिम वेतन} + \text{ वेतन पर 9\% भत्ता}) \times \text{अर्हक सेवा} / 2 \\ &= (70000 + 6300) \times (33/2) \\ &= 76300 \times 16.5 \\ &= 12,58,950/-\end{aligned}$$

उदाहरण 2 - (केवल रनिंग कर्मचारियों के लिए)

यदि लेवल 6 में अंतिम वेतन रू. 70000/- लिया गया है तथा मंहगाई भत्ता 9% हैं तथा अर्हक सेवा सेवा निवृत्ति के समय 33 वर्ष हैं तो सेवा निवृत्ति उपदान निम्नानुसार होगा-

$$\begin{aligned}\text{उपदान} &= (\text{ लिया अंतिम वेतन} + \text{ वेतन पर 55\% (रनिंग कर्मचारी को अतिरिक्त लाभ) +} \\ &\text{मंहगाई भत्ता (वेतन + वेतन का 30 \% X 9\%) } \times (\text{ कुल अर्हक सेवा} / 2) \\ &= (70000 + 38500 + 8190) \times (33/2) \\ &= 116690 \times 16.5 \\ &= 19,25,385/-\end{aligned}$$

सेवा उपदान:-

सेवा उपदान उन कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है जो 10 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले सेवा छोड़ते हैं। दूसरे शब्दों में जब कोई कर्मचारी 10 वर्ष से कम की सेवा पूरी करता है तो वह पेंशन का पात्र नहीं होता। दूसरी ओर वह पेंशन के स्थान पर सेवा निवृत्ति उपदान का पात्रा होता है।

- इसका सेवा निवृत्ति उपदान के अलावा भुगतान किया जाता है, यदि वह पात्र हो।
- मंहगाई भत्ते को भी शामिल किया जाता है।
- इसका भुगतान अर्हक सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक छः महीने की आधी परिलब्धियों की दर पर किया जाता है।

उदाहरण: (यदि सेवा 10 वर्ष से कम हो)

यदि लिया गया अंतिम वेतन रू. 70000/- तथा मंहगाई भत्ता 9% हैं तथा अर्हक सेवा सेवा निवृत्ति के समय 8.5 वर्ष हैं तो सेवा निवृत्ति उपदान निम्नानुसार होगा-

$$= (70000 + 6300 \times 8.5 \text{ वर्ष (अर्हक सेवा)}) = 6,48,550/-$$

मृत्यु उपदान:-

यदि रेल सेवक की सेवा के दौरान मृत्यु होती है तो मृत्यु उपदान का भुगतान उसके परिवार को निम्नानुसार किया जाएगा-

अर्हक सेवा	दर
1 वर्ष से कम	मूल वेतन का 2 गुणा
1 वर्ष या अधिक किंतु 5 वर्ष से कम	मूल वेतन का 6 गुणा
5 वर्ष या अधिक किंतु 11 वर्ष से कम	मूल वेतन का 12 गुणा
11 वर्ष या अधिक किंतु 20 वर्ष से कम	मूल वेतन का 20 गुणा
20 वर्ष अथवा अधिक	अर्हक सेवा के प्रत्येक 6 महीने की पूरी की गई प्रत्येक अवधि की परिलब्धियों का आधा जो अधिकतम परिलब्धियों का 33 गुणा होगा।

यह एकमुश्त लाभ है जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके नामिती अथवा परिवार के सदस्य को दिया जाता है जो मृतक द्वारा प्रदान की गई न्यूनतम सेवा अवधि के लिए है। मृत्यु उपदान को निम्नानुसार विनियमित किया जाता है:-

नामांकन:-

रेल सेवक सेवा के दौरान अपने परिवार की घोषणा करेगा तथा उपयुक्त फार्मों में जैसा कि डीसीआरजी, सीजीईजीआईएस और आईआरईसी के अनुसार भविष्य निधि एवं रेल सेवा पेंशन नियम 1993 में उपलब्ध कराएं गए हैं, नामांकन करेगा।

पेंशन:-

रेल कर्मचारी को पेंशन अधिवर्षिता की आयु (60 वर्ष) पूरा करने, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में समाहित होने पर, चिकित्सकीय रूप से अयोग्य होने पर, अनिवार्य सेवा निवृत्ति अथवा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति अथवा उसे पद समाप्त होने के कारण हटाए जाने पर देय होती है तथा वह रेलवे पेंशन, उपदान और पेंशन के कम्प्यूटेशन के विकल्प का पात्र होता है। पेंशन मैनुअल में पेंशन विनियमित करने वाले सामान्य नियमों का उल्लेख किया गया है।

पेंशन का निर्धारण किस तरह किया जाता है?

फिलहाल, कर्मचारियों के लिए लागू पेंशन छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार है जो पिछले 10 महीनों में औसत परिलब्धियों की 50 % होगी उसमें से जो भी अधिक लाभप्रद होगी बशर्ते कर्मचारी 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर चुका हो। (अधिवर्षिता, अनिवार्य सेवा निवृत्ति कर्मचारी के पीएसयू में समाहित होने पर तथा 20 वर्ष की सेवा पूरी होने के मामले में जब कर्मचारी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेता है।

रेल सेवा (पेंशन) संशोधित नियम 2013 के अनुसार उसकी दिनांक 23.09.2013 की अधिसूचना के अनुसार परिवार पेंशन निम्नानुसार देय होगी:-

- I. विधवा अथवा विधुर के मामले में मृत्यु अथवा पुनः विवाह की तारीख तक जो भी पहले हो-
- II. अविवाहित पुत्र के मामले में 25 वर्ष की आयु पूरी होने तक अथवा जब तक वह विवाहित होता है अथवा जब तक वह अपनी अजीविका के लिए अर्जन शुरू करता है जो भी पहले हो-
- III. अविवाहित अथवा विधवा यह तलाकशुदा पुत्री के मामले में जब तक वह विवाहित होती है पुनः विवाहित होती है अथवा अपनी अजीविका के लिए अर्जन शुरू करती है, जो भी पहले हो।
- IV. अभिभावकों के मामले में जो मृत्यु से ठीक पहले रेल सेवक पर पूर्णतः आश्रित थे को आजीवन, यदि रेल सेवक की पत्नी अथवा पात्र बच्चा नहीं है। परिवार पेंशन जहां अभिभावकों के लिए लागू होगी उसमें मृतक रेल सेवक की मां अथवा उनके स्थान पर पिता को देय होगी। अभिभावक रेल सेवक के आश्रित समझे जाएंगे यदि उनकी सयुक्त आय न्यूनतम लागू परिवार पेंशन और उस पर मंहगाई सहायता से कम होगी।

सामान्य परिवार पेंशन:

सभी मामलों में परिवार पेंशन मूल वेतन के 30% एकरूप दर पर देय होगा और जो प्रत्येक माह रू.9000/- + मंहगाई भत्ते का न्यूनतम होगा। हताहत कर्मचारी जिसकी अर्हक सेवा 10 वर्षों से कम हो गई है उसके परिवार के सदस्य ही सामान्य परिवार पेंशन के लिए पात्र है और परिवार पेंशन में वृद्धि नहीं होगी।

परिवार पेंशन में वृद्धि (आरएसपीआर 75 (4) (i) (क) -

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड के दिनांक 15.09.2008 का पत्र संख्या एफ (ई) III/2008/पीएन।/13) रेल कर्मचारी जिसकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है उसे मृत्यु की दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए नियम 75 (4) (i) (क) के अंतर्गत बढ़ी हुई पर परिवार पेंशन का भुगतान किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में हताहत कर्मचारी को भुगतान किए अंतिम वेतन के 50% का भुगतान मृत्यु की दिनांक से 10 वर्ष के लिए किया जाएगा।

ऐसे कर्मचारी जो मुआवजा अधिनियम 1923 से शासित हैं और जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है और उन्होंने 7 वर्ष से कम लगातार सेवा पूरी की गई है, उनके परिवार के लिए परिवार पेंशन की दर आखरी लिए गए वेतन के 50% के बराबर अथवा परिवार पेंशन की 1.5 गुणा होगी जो भी रेल सेवक पेंशन नियम 1993 के नियम 75 (4) (i) (क) के अनुसार कम होगी।

अधिवापित / स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति/ चिकित्सकीय रूप से अस्वस्थ / अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मामले में सेवा निवृत्ति कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 7 वर्ष के लिए कर्मचारी के अंतिम वेतन के 50% के बराबर देय होगी जब तक उसने 67 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, जो भी पहले हो।

दो परिवार पेंशनों की पात्रता:

दो परिवार पेंशनों का अनुदान उस सैनिक पेंशन भोगी को दिया जाएगा जो पुर्ननियोजन के बाद सिविल सेवा अथवा सिविल पद पर कार्यरत रहा है जिसके लिए रेलवे बोर्ड के दिनांक 11.02.2013 के पत्र संख्या एफ (ई) III/2005/पीएन।/32) (आरबीई 12/2013) के अंतर्गत अनुमोदन किया गया है तथा ये आदेश दिनांक 24.09.2012 से लागू है।

एक मृतक कर्मचारी/ पेंशनभोगी के लाभार्थी के संबंध में परिवार पेंशन की गणना अन्य परिवार पेंशन की पात्रता के निर्धारण के लिए नहीं की जाएगी जो कि किसी दूसरे कर्मचारी / पेंशनभोगी के संबंध में लागू हैं। फिर भी, लाभार्थी का अन्य कोई आय / अर्जन को परिवार पेंशन की पात्रता निर्धारित करने में नहीं किया जाएगा जैसा रेलवे बोर्ड के दिनांक 04.01.2012 के पत्र संख्या एफ (ई) III/2005/पीएन।/16) (आरबीई 5/2012) में उल्लेख किया गया है।

अवैध एवं गैर कानूनी विवाह से पैदा बच्चे के लिए परिवार पेंशन की पात्रता:

मृतक कर्मचारी/ पेंशनभोगी के अपात्र (गैर कानूनी रूप विवाहित पत्नी) माता से पैदा बच्चे परिवार पेंशन के पात्र होंगे रेलवे बोर्ड का दिनांक 14.01.2013 का पत्र संख्या एफ (ई) III/2007/पीएन।/5) (आरबीई 150/2013) बशर्ते सक्षम प्राधिकारी पात्रता से संतुष्ट हों।

विधवा/तलाकशुदा पुत्री के परिवार पेंशन की पात्रता:

विधवा/तलाकशुदा पुत्री परिवार पेंशन की पात्र होंगी क्योंकि उन्हें सरकारी सेवक / पेंशनभोगी अथवा उसके पति/पत्नी का आश्रित समझा जाता है। रेलवे बोर्ड का दिनांक 26.09.2013 का पत्र संख्या एफ (ई) III/2007/पीएन।/5)।

गुमशुदा मामलों में परिवार पेंशन की पात्रता:

गुमशुदा कर्मचारी /पेंशनभोगी के परिवार का सदस्य परिवार पेंशन का पात्र होगा जिसका अनुमोदन पुलिस के पास एफआईआर लिखवाने के छः महीने के बाद किया जाएगा। परिवार पेंशन एफआईआर लिखवाने की तारीख से संचित होगी अथवा उस दिन के तुरंत बाद से लागू होगी जब पेंशनभोगी को अंतिम भुगतान किया गया था जो भी बाद में हो (प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 27.10.2011 का पत्र संख्या एफ (ई) III/2009/पीएन।/7) (आरबीई 154/2011)।

परिवार के पात्र सदस्य को गुमशुदा रेल कर्मचारी की सभी निपटारा बकाया राशि उसी प्रकार प्रदान की जाएगी जैसा अधिवर्षिता के मामले में किया जाता है। एफआईआर लिखवाने के छः महीने के बाद उसे मृत्यु का मामला समझा जाएगा तथा निपटारा बकाया राशि के अंतर का भुगतान अर्थात डीसीआरजी एवं सामूहिक वीमा दिया जाएगा। ऐसे मामलों में जब कर्मचारी कोई धोखाधड़ी या अपराध करके फरार हो जाता है तो परिवार पेंशन लागू नहीं होगी। रेलवे बोर्ड का दिनांक 15.07.2013 का पत्र संख्या एफ (ई) III/2009/पीएन।/7) (आरबीई 68/2013)।

न्यूनतम और अधिकतम पेंशन की राशि:

न्यूनतम पेंशन रू. 9000/- + मंहगाई सहायता

अधिकतम पेंशन रू. 1,25,000/- + मंहगाई सहायता

अधिकतम परिवार पेंशन रू. 75000 + मंहगाई सहायता

पेंशन की गणना का फार्मूला:

लिया गया अंतिम वेतन / 2 (अथवा अंतिम 10 महीनों के वेतन की औसत परिलब्धियां / 2 जो भी कर्मचारी के लिए लाभप्रद हो।

पेंशन कम्प्यूटेशन:

जो रेल कर्मचारी अधिवर्षिता / स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति अथवा मुआवजे पर सेवा निवृत्त हो रहा है वह पेंशन कम्प्यूटेशन का विकल्प दे सकता है जो स्वीकृत पेंशन के 40% से अधिक नहीं होगा।

उस कर्मचारी को कम्प्यूटेशन का भुगतान नहीं किया जाएगा जिनके विरुद्ध अनुशासन और अपील मामला, आपराधिक मामला लंबित हो।

चिकित्सकीय रूप से अस्वस्थ/अनिवार्य सेवा निवृत्त कर्मचारी को मेडिकल बोर्ड की जांच के बाद ही कम्प्यूटेशन का भुगतान किया जाएगा।

कम्प्यूटेशन राशि की गणना का फार्मूला:

पेंशन का अधिकतम 40% (X) 12 (X) आयु फैक्टर (अगले जन्म दिवस पर आयु)

उदाहरण: यदि रेल कर्मचारी जो अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्त हो रहा है उसकी मूल पेंशन रू. 35000/- है तो कम्प्यूटेशन की राशि निम्नानुसार होगी:

पेंशन का कम्प्यूट किए जाने वाला हिस्सा = 35000/- / - X 40% = 14000/-

कम्प्यूटेशन = 14000/- X 8.194 (60 वर्ष) अगले जन्म दिन के लिए आयु फैक्टर = 1376592/-

पेंशन में पुनः वृद्धि:

पेंशन का कम्प्यूट किया गया हिस्सा कम्प्यूटेशन के भुगतान की तारीख के 15 वर्ष के बाद पूरा हो जाता है। पेंशन के कम्प्यूट किए गए हिस्से के पूरा होने की तारीख का उल्लेख पेंशन भुगतान आदेश में किया जाता है तथा पेंशनभोगी 15 वर्ष के बाद बैंक अधिकारियों से संपर्क कर इस वृद्धि का लाभ उठा सकता है पेंशनभोगी समस्या होने पर कार्मिक / लेखा शाखा से संपर्क कर सकता है, जैसा भी मामला हो।

पेंशन का संशोधन:

हालात में बदलाओं के कारण जैसे कि वेतन निर्धारण, एमएसीपी वेतन वृद्धि प्रदान करने, विसंगति हटाने तथा वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने पर पेंशन में संशोधन किया जाता है।

छुट्टियों के वेतन के बराबर नकदी भुगतान:

कोई कर्मचारी निपटारे के समय उसके खाते में संचित अधिकतम 300 दिनों (उपयोग न किया गया अर्जित सवेतन अवकाश) के नकदीकरण का पात्र होता है।

7 वें वेतन आयोग के अनुसार 300 दिनों की अर्जित सवेतन छुट्टी कम पड़ने पर उन्हें अर्ध वेतन औसत छुट्टी जोड़कर पूरा किया जाता है।

उदाहरण के लिए किसी कर्मचारी के खाते में केवल 285 दिनों की अर्जित सवेतन छुट्टी जमा है जबकि सेवा निवृत्ति के समय उसके खाते में अर्धवेतन औसत छुट्टियां शेष हैं तो छुट्टी नकदीकरण की गणना के लिए 15 दिनों से अधिक की अर्धवेतन छुट्टियां (अर्थात) सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को 285 दिनों के लिए औसत वेतन छुट्टी तथा 15 दिनों के लिए औसत अर्धवेतन छुट्टी का भुगतान किया जाएगा।

उदाहरण: यदि लिया गया अंतिम वेतन रू. 70000/- है तो छुट्टी नकदीकरण निम्नानुसार होगा।

गैर-रनिंग कर्मचारियों के लिए:

यदि 300 दिन की अर्जित सवेतन छुट्टी शेष है:

लिया गया अंतिम वेतन + 9 % मंहगाई भत्ता (जो उस तारीख को लागू हो) X 300 दिन / 30 दिन =
70000/- + 6300 X 300/= 7,63000/-

यदि कर्मचारी के खाते में 285 दिन अर्जित सवेतन छुट्टी हैं और 50 दिन की औसत अर्धवेतन छुट्टी हैं तो छुट्टी नकदीकरण निम्नानुसार किया जाएगा:

= 70000/- + 6300 X 285/30 =7,24850/- (ए)

हालांकि कर्मचारी के खाते में 50 दिन की अर्ध औसत वेतन छुट्टियां हैं तथा वह केवल 15 दिनों की अर्ध औसत वेतन छुट्टियों के नकदीकरण का पात्र है।

लिया गया अंतिम वेतन + 9 % मंहगाई भत्ता / 2 X 15 दिन / 30 दिन

= 70000/- + 6300 /2 X 15/30 = 19,075/- (बी)

इसके लिए कुल छुट्टी नकदीकरण होगा ए + बी = 724850/- + 19.075 = 7,43,925/-

रनिंग कर्मचारियों के लिए:

यदि खाते में 300 दिनों की औसत वेतन छुट्टी शेष है:

= लिया गया अंतिम वेतन + 30 % वेतन + 9 % मंहगाई भत्ता मूल वेतन में 30% जोड़ कर/ 2 X 300

= 70000 + 21000 + 9 % ($\frac{70000 + 21000}{30}$) X 300

= 99190 / 30 X 300

= 9,91,900/-

भविष्य निधि:

भविष्य निधि अंशदान तथा मासिक वेतन से कटौती किए गए स्वैच्छिक भविष्य निधि की राशि और उस पर अर्जित व्याज रेल कर्मचारी को सेवा निवृत्त होने पर अथवा मृत्यु होने पर उसके नामितों को, जैसा भी मामला हो प्रदान की जाती है।

रेल कर्मचारी सेवा निवृत्ति से पहले बिना कोई कारण बताए भविष्य निधि से सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए 90% तक राशि निकाल सकता है।

सेवानिवृत्ति से अंतिम तीन महीने में रेल सेवक से भविष्य निधि की कटौती नहीं की जाएगी।

डिपॉजिट लिक्ड बीमा योजना (डीएलआई)

यह योजना सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके भविष्य निधि में उपलब्ध राशि से जुड़ी हुई हैं। इस योजना के लिए अलग से अंशदान नहीं लिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम रू. 60000/- के भुगतान की अनुमति है। इस योजना के अंतर्गत कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी करना आवश्यक है। इसके अंशदान के लिए कर्मचारी की मृत्यु के पिछले 3 वर्षों में निम्न दर्शाई गई सीमाओं में होना चाहिए: (06.06.2009 से प्रभावी)

(प्राधिकार: आरबीई क्र.238/99 तथा आरबीई क्र.221/09)

क्र.	अंशदाता की ग्रेड पे / लेवल	जमा न्यूनतम राशि
1	ग्रेड पे रू.4800 (पीवी-2) लेवल - 8 अथवा अधिक	रू. 25000/-
2	लेवल 6 से लेवल 7 (पीवी-2)	रू. 15000/-
3	पे बैंड 1 (5200 - 20200) लेवल 1 से 5	रू. 10000/-
4	पे बैंड 1 एस (4440 - 7440) तथा ग्रेड पे रू.1300 अथवा अधिक किंतु 1400 से कम	रू. 6000/-

सीजीईजीआईएस (केंद्र सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना) : यह योजना 01.01.1982 से लागू की गई है तथा प्रतिमाह इसके अंशदान की दर निम्नानुसार है:

समूह	मासिक कटौती	कवर बीमा
समूह ग और घ	30	30000/-
समूह ख	60	60000/-
समूह क	120	120000/-

कर्मचारी की मृत्यु होने के मामले में काटी गई बीमा राशि तथा अंशदान पर ब्याज राशि का परिवार / नामिति को भुगतान किया जाएगा।

सेवा निवृत्ति के मामले में केवल अंशदान के बचत वाले हिस्से तथा उस पर ब्याज का रेल सेवक को भुगतान किया जाएगा।

चिकित्सा सुविधाएँ:-

सेवा निवृत्त / स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के लिए :

सेवा निवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना, 97 (आरईएलएचएस, 1997) में शामिल होने के लिए रेल सेवक की 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी होना आवश्यक है तथा ऐसे रेल सेवक इस योजना में भाग लेने के लिए सेवा निवृत्ति से 3 महीने पहले अपना विकल्प दे सकते हैं। अब से आगे आरईएलएचएस में नामांकन सेवा निवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2011/एच/28/1/आरईएलएचएस/कोर्ट केस दिनांक 31.05.2012

आरईएलएचएस (सेवा निवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना) :

7 वें वेतन आयोग की मैट्रिक्स के अनुसार वेतन लेवल	आरईएलएचएस में भाग लेने के लिए अंशदान
i लेवल 1 - 5	रु.30000/-
ii लेवल 6	रु.54000/-
iii लेवल 7 - 11	रु.78000/-
iv लेवल 12 और अधिक	रु.1,20,000/-
• उपरोक्त राशि अथवा मूल वेतन जो भी कम हो उसकी कटौती की जाएगी।	

टिप्पणी:-

- 21 वर्ष तक की आयु के पुत्र को आरईएलएचएस कार्ड में शामिल किया जा सकता है बशर्ते वह अविवाहित और बेरोजगार तथा पेंशनभोगी और उसकी पत्नी / पति पर पूरी तरह आश्रित हो (रेलवे बोर्ड का दिनांक 16.02.2009 का पत्र संख्या 2008/एच- 1/2/15)

2. सेवानिवृत्ति होने वाले अथवा उसकी पत्नी अपनी विवाहित पुत्रियों के पहले दो प्रसवों के लिए रियायती दर पर चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं (रेलवे बोर्ड का दिनांक 11.12.2009 का पत्र संख्या 2008/एच/23/2)

निर्धारित चिकित्सा भत्ता: (एफएमए) :

20 वर्ष की अर्हक सेवा के साथ सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी प्रतिमाह रू.1000/- की दर से निर्धारित चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने के पात्र है जिसका भुगतान पेंशन / परिवार पेंशन के साथ निम्नलिखित शर्तों पर किया जाएगा। अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारी जो पेंशन के पात्र हैं, निर्धारित चिकित्सा भत्ता लेने के भी पात्र होंगे।

- i) यदि पेंशनभोगी / परिवार पेंशनभोगी नजदीकी स्वास्थ्य यूनिट से 2.5 कि.मी. दूर रहता है।
- ii) यदि पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी ओपीडी (गंभीर बीमारियों को छोड़कर) सुविधा का लाभ नहीं उठा रहा है।

आरईएलएच योजना में शामिल होना निर्धारित चिकित्सा भत्ते का दावा करने की कोई

पूर्व शर्त नहीं है केवल इस योजना में नामांकन करना ही पात्रता के लिए पर्याप्त होगा। रेल कर्मचारी की विधवा जिसे अनुकंपा आधार पर नियुक्ति दी गई है वह निर्धारित चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी। (रेलवे बोर्ड का दिनांक 15.09.2009 का पत्र संख्या पीसी-V /2006/ए/मेडि/1 (आरबीई 168/2009)।

पेंशनभोगी / परिवार पेंशनभोगियों को पूरे जीवन में एक बार निर्धारित चिकित्सा भत्ते में बदलाव का विकल्प होगा जिसके लिए आवासीय पते में परिवर्तन का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 15.07.2002 का पत्र संख्या पीसी-V /98/1 (आरबीई 107/2002)। पेंशनभोगी जो 21.04.1999 से पहले सेवा निवृत्त हो चुके हैं, निर्धारित चिकित्सा भत्ते के लिए उनके विकल्प पर पेंशन वितरण प्राधिकारी (बैंक) द्वारा विचार किया

जा सकता है। दिनांक 21.04.1999 को अथवा इसके बाद पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी निर्धारित चिकित्सा भत्ता मंजूर करने के लिए सक्षम होंगे। (रेलवे बोर्ड का दिनांक 26.08.2011 का पत्र संख्या पीसी-V /2011/ए/मेडि/1)

अनुकंपा भत्ता:

कोई रेल सेवक जिसको सेवा से बरखास्त अथवा हटाया गया है उसे पेंशन तथा उपदान का भुगतान नहीं किया जाएगा बशर्ते जिस सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे सेवा से बरखास्त या हटाया गया है उचित रूप से विचार करने पर उसके लिए अनुकंपा भत्ते का अनुमोदन कर सकता है जो पेंशन अथवा उपदान के 2/3 भाग से अधिक नहीं होगा अथवा दोनों में से जो उस पर लागू होंगे। इस प्रकार अनुमोदित किया गया अनुकंपा भत्ता दि.01.01.2016 से रू.9000/- कम नहीं होगा।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) :

सभी कर्मचारी जो नई पेंशन योजना में शामिल हैं वे छुट्टी वेतन, सामूहिक वीमा के पात्र होंगे। अंशदाता की संचित पेंशन रेलवे बोर्ड के दि.16.08.2013 के पत्र आरबीए 21/2013 के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

रेलवे बोर्ड के दि.16.08.2013 के पत्र संख्या 2010/एसी-II /21/18 के अनुसार उन कर्मचारियों के मामले में जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल हैं तथा जो अधिवर्षिता पर अथवा अन्यथा सेवा से बाहर हो गए हैं उनके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया/मानदंड रखें जाएंगे-

- क) अधिवर्षिता पर - संचित पेंशन राशि का कम से कम 40 % वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग में लाया जाएगा जिससे अंशदाता को मासिक पेंशन दी जाती है तथा शेष का एकमुश्त रूप में अंशदाता को भुगतान किया जाएगा। जैसा कि रेलवे बोर्ड के अनुलग्नक I (दावा फार्म) में उल्लेख किया गया है उसे अंशदाता की संचित पेंशन की निकासी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
- ख) मृत्यु के मामले - पूरी संचित राशि (100%) का भुगतान नामिती अंशदाता के कानूनी वारिस को किया जाएगा और किसी वार्षिकी / मासिक पेंशन की खरीद नहीं की जाएगी। जैसा कि रेलवे बोर्ड के अनुलग्नक III (दावा फार्म) में उल्लेख किया गया है उसे अंशदाता की संचित पेंशन की निकासी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
- ग) सामान्य अधिवर्षिता की आयु से पहले नई पेंशन योजना से बाहर होना (बिना कोई कारण बताएं) अंशदाता की संचित पेंशन का कम से कम 80 % वार्षिकी की खरीद में उपयोग किया जाएगा जिससे अंशदाता को मासिक पेंशन दी जाती है तथा शेष एकमुश्त राशि का भुगतान अंशदाता को किया जाएगा। जैसा कि रेलवे बोर्ड के अनुलग्नक II (दावा फार्म) में उल्लेख किया गया है उसे अंशदाता की संचित पेंशन की निकासी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

सेवा निवृत्ति के बाद मानार्थ और विशेष पास:

कर्मचारी जिसके द्वारा 20 वर्ष से अधिक की सेवा प्रदान की गई है वे सेवा निवृत्ति के बाद पूरे सेट पास के हकदार होंगे। रेलवे बोर्ड का दि.24.09.2018 का पत्र संख्या ई (डब्ल्यू) 2016 /पीएस5-2/9) उपरोक्त आदेश रेलवे बोर्ड के दि.12.03.2014 के पत्र संख्या ई (डब्ल्यू) 2013 /पीएस 5-1/17 के अनुसार दि. 24.09.2018 से प्रभावी हैं।

वर्ग	एक वर्ष में अनुमेय पास संख्या
समूह क और ख जिन्होंने 20 वर्ष या अधिक सेवा की है।	3 सेट
समूह ग और घ जिन्होंने 20 वर्ष या अधिक सेवा की है।	2 सेट

सेवानिवृत्ति के बाद मानार्थ पास की पात्रता:

नियमित पद पर समाहित होने से पहले प्रशिक्षण की अवधि को रेल सेवा के निर्धारण और सेवा नियुक्ति के बाद पासों की पात्रता में शामिल किया जाता है।

अस्थाई सेवा के बाद लगातार प्रदान की गई सेवा की अवधि को सेवानिवृत्ति के बाद पासों की पात्रता में शामिल किया जाता है।

सेवानिवृत्ति के बाद दिए जाने वाले पासों की पात्रता के लिए निम्नलिखित सेवाओं की भी गणना की जाती है-

1. नियमित पद पर समाहित होने से पहले की प्रशिक्षण अवधि
2. कैंटीन कर्मचारियों द्वारा सांविधिक और गैर-सांविधिक कैंटीनों में की गई सेवा
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / सेना में की गई सेवा का 50% जिससे 20 वर्ष की अर्हक सेवा की कमी को पूरा किया जा सके बशर्ते सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / सेना को पेंशन की गणना के लिए अर्हक सेवा में शामिल किया जाता है।

सेवानिवृत्त कर्मचारी / उनकी विधवा सुविधा टिकट आदेश के पात्र नहीं होंगे । निपटारा पास / किट पास :

सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारी को तथा कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके पति / प्रती को स्वयं / परिवार के सदस्य / आश्रितों को निजि सामान को उस स्थान तक जहा कर्मचारी / परिवार सेवानिवृत्ति / कर्मचारी की मृत्यु के बाद रहना चाहता है पास प्रदान किए जाएंगे। निपटारा पास के लिए सेवानिवृत्ति / मृत्यु के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा तथा किट पास की वैधता 3 महीने और निपटारा पास की वैधता 1 महीने होगी।

फिर भी, महाप्रबंधक द्वारा सेवानिवृत्ति / मृत्यु की तारीख से 2 वर्ष तक के विलंब को माफ किया जा सकता है। किट पास घरेलू सामान के परिवहन के लिए लागू होता है जिसकी विनिर्दिष्ट सीमा रेलवे बोर्ड के दि.01.06.2000 के पत्र संख्या ई (डब्ल्यू) 96 पीएसएस - 9/1 में बताई गई है। 7 वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद किट पास की संशोधित पात्रता

रेलवे बोर्ड के दि.07.06.2009 के पत्र संख्या ई (डब्ल्यू) 2004 पीएस - 5-9/1 में बताई गई है।

विधवा को मानार्थ पास :

सेवानिवृत्त कर्मचारी की विधवा / विधुर जिन्होंने विधवा पास योजना का विकल्प दिया है वे सेवा निवृत्ति के बाद दिए जाने वाले पासों की आधि संख्या के पात्र होंगे जो मृत कर्मचारी सेवा के दौरान / अथवा मृत्यु और सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त कर रहा था।

रेल कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी सेवा चाहे 20 वर्ष से कम हो उसकी विधवा / विधुर प्रत्येक वैकल्पिक वर्ष 1 वर्ष में 1 सेट पास की पात्र हैं।

सेवानिवृत्ति / रेल सेवक की मृत्यु होने के बाद पास का लाभ उठाना:

सेवानिवृत्त / मृत कर्मचारी की पत्नी / पति सेवानिवृत्त होने का स्थान अथवा अपने रहने के स्थान से पास सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। कर्मचारी / उसकी पत्नी अथवा पति व्यक्तिगत रूप से जाकर अथवा पंजीकृत डाक से अनुरोध भेज कर पास सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

सेवानिवृत्ति के बाद मानार्थ पास पर परिचर के स्थान पर साथी की व्यवस्था:

सेवानिवृत्त कर्मचारी / उसकी विधवा जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक है और जो प्रथम श्रेणी/ प्रथम श्रेणी ए सेवानिवृत्ति के बाद वाले पास के पात्र है उन्हें उसी समान श्रेणी में स्लीपर क्लास/द्वितीय श्रेणी और उच्चतर श्रेणी के किराए के 1/3 भाग का भुगतान करने पर राजधानी/शताब्दी सहित सभी गाड़ियों में अपने साथ साथी को ले जाने की अनुमति होगी बशर्ते अधिकतम सीमा राजधानी / शताब्दी में वर्तमान लागू बर्थ/सीट के प्रतिबंध के अनुसार हो।

साथी के लिए आयु की कोई सीमा नहीं।

उपरोक्त प्रावधान सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी के परिवार के 65 वर्ष से कम आयु के सदस्यों द्वारा यात्रा किए जाने पर लागू नहीं होगा।

सेवानिवृत्ति के बाद मानार्थ पासों के लिए सदस्यों की पात्रता

सेवानिवृत्त कर्मचारी मानार्थ पास के लिए अपने परिवार के सदस्यों को शामिल कर सकता है। उसकी विधवा मां / विधवा अथवा कानूनी तौर पर तलाक शुदा पुत्री को भी इसमें शामिल किया जा सकता है।

दि.26.10.2005 को अथवा इसके बाद बरखास्त अथवा पद हटाए गए कर्मचारी जिनका उपदान / पेंशन रोकੀ गई है किंतु अनुशासन और अपील के कार्रवाई के कारण सेवानिवृत्ति के बाद पास के लिए पात्र नहीं है किंतु अनुकंपा भत्ता प्रदान किए जाने के बाद पात्र हो सकते हैं।

अनुकंपा आधार पर नियुक्त विधवा को विधवा पास का विकल्प:

अनुकंपा आधार पर नियुक्त की गई विधवा को रेल कर्मचारी के समान उनकी नियुक्ति और सेवानिवृत्ति पर दोनों में से किसी एक का विकल्प दिया जाता है।

- वे या तो रेल कर्मचारी के रूप में पास ले सकती है (अथवा)
- मृत रेल कर्मचारी की विधवा के रूप में विधवा पास का लाभ उठा सकती है।

(एक बार दिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा तथा वापस नहीं लिया जाएगा।)

अग्रिम पास :

यदि सेवानिवृत्त हुए रेल सेवक के खाते में वर्तमान वर्ष के पास समाप्त हो चुके हैं तो वह अग्रिम पास के रूप में अगले वर्ष के खाते से पास उठा सकता है। इस तरह के अग्रिम पास के लिए 120 पहले अग्रिम रूप से आवेदन करना होगा।

चिकित्सा आधार पर विशेष पास:

सेवानिवृत्त कर्मचारी / उसकी पत्नी अथवा पती जो हृदय/कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हो और जो आरईएलएचएस, 1997 में शामिल हो, वे रहने के स्थान से अस्पताल के स्थान तक और वापसी के लिए चिकित्सा आधार पर विशेष पास के पात्र होंगे जिसके लिए सक्षम अस्पताल अधिकारी की सिफारिश आवश्यक होगी।

अन्य शर्तें तथा पात्रता:

ऐसे मामले में जहां पती और पत्नी दोनों सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी हो वे दोनों खातों पर मानार्थ पास ले सकते हैं।

जब पूरी तरह से नेत्रहीन कोई सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी (जिसकी दोनों आंखें न हों) अकेले यात्रा करता है तो उसी श्रेणी में अपने साथ एक परिचर के लिए पात्र होगा जिसके लिए उसे संबंधित चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा सेवानिवृत्ति के बाद पास में परिचर का नाम भी देना होगा।

यदि सेवानिवृत्ति के बाद किसी बच्चों को गोद लिया जाता है तो गोद लेने का आवश्यक प्रमाण देने के बाद उसे सेवानिवृत्ति के बाद वाले पास में शामिल किया जा सकता है।

सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी और उसकी पत्नी / पती को सेवानिवृत्ति के बाद वाले पास का लाभ उठाने के लिए एक फोटो पहचान पत्र जारी किया जाता है तथा यात्रा के दौरान उन्हें इस फोटो पास को अपने साथ रखना होगा। इस पहचान पत्र की वैधता सेवानिवृत्ति के बाद विधवा पास धारक के जीवित रहने तक होती है।

कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट (सीटीजी) :

पिछले लिए गए मूल वेतन के 80 % की दर पर सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक अपने रहने के स्थान तक घरेलू सामान के परिवहन के लिए सीटीजी प्रदान किया जाता है बशर्ते उसका घर 20 कि.मी. के व्यास से बाहर हो अथवा मुख्यालय से 20 कि.मी. के अंदर घर होने पर अंतिम वेतन का 1/3 सीटीजी के रूप में दिया जाता है।

आवास स्थान के परिवर्तन के संबंध में केवल सीटीजी के दावे के लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत किया जा सकता है तथा इसके लिए सेवानिवृत्त होने के 1 वर्ष के भीतर दावा प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके बाद महाप्रबंधक को विलंब माफ करने का अधिकार होगा। (प्राधिकारी रेलवे बोर्ड का दि. 01.05.1998 का पत्र संख्या ई (आई) 98 एएल-28/10 तथा दिनांक 01.12.2008 का पत्र संख्या एफ (ई) आई / 2008 /एएल-28/15)

सेवानिवृत्ति के बाद रेल आवास रोकना:

सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी सामान्य दर पर 4 महीने के लिए तथा शिक्षा / चिकित्सा आधार पर 4 और महीने के लिए रेलवे आवास को रोकने का पात्र है जिसके लिए सामान्य किराए का दुगना किराया देना होगा। कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्य 24 महीने तक रेलवे आवास को तावे में रख सकते हैं। आवास खाली करने के बाद डीसीआरजी दिया जाएगा।

अवकाश गृह:

पूरी भारतीय रेल पर कई अवकाश गृह उपलब्ध हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवारत रेल कर्मचारियों के समान ही इन अवकाश गृहों का लाभ उठा सकते हैं।

पुणे मंडल पर अवकाश गृह की सुविधा महाबलेश्वर और लोणावला में उपलब्ध है ।

पेंशनर असोशिएशन:

सलाह दी जाती है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वयं का पेंशनर असोशिएशन में नामन करा सकते हैं जिससे उन्हें पेंशन के बारे में बदलाव अद्यतन नियमों की पूरी जानकारी मिलती रह सके।

योग – एक जीवन शैली

परिचय:



योग का एक सिद्धांत के रूप में हजारों साल पहले प्रारंभ हुआ। इसमें संदेह नहीं की इसका विकास करने वाले पूर्वज उस समय में साधु रहे होंगे। किंतु आज के दिन यह कहा जाता है कि योगा उन साधुओं और महात्माओं की ही देन नहीं था जो घर से दूर पहाड़ों और जंगलों में रहा करते थे। योगा आज की आधुनिक जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। वास्तव में आज की जीवन शैली में कई बड़े खतरे हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता तथा योगा के ज्ञान और अभ्यास से ही उनका समाधान खोजा जा सकता है। यहां तक कि आज मेडिकल साइन्स भी सहमत है कि योगाभ्यास ही कई बड़ी बीमारियों से बचाव का एक बड़ा समाधान है।

संस्कृत शब्द योगा का शाब्दिक अर्थ योक है। इसका अर्थ अपनी आत्मा को ब्रह्मांड की आत्मा अर्थात् भगवान से जोड़ना भी होता। योग अभ्यास के बारे में माना जाता है कि इससे विभिन्न अंगों में उत्साह का संचार होने से शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है जिससे मस्तिष्क को शांति और आनंद की प्राप्ति होती है।

आसन

विभिन्न मुद्राओं की विशेष पद्धति है जिनसे मस्तिष्क स्थिर होता है तथा शरीर का व्यायाम होता है। इनका लक्ष्य मस्तिष्क को एक टॉनीक के रूप में पोषित करना तथा सामान्य मांसपेशियों को सशक्त बनाना होता है। आसनों को करने से दो प्रमुख लाभ अर्थात् स्थिरता और सुख की प्राप्ति होती है। इससे पता चलता है कि आसनों के कारण दिमाग के साथ-साथ शरीर को भी बल मिलता है। प्रत्येक आसन को बिना थकान और सुविधाजनक समय तक किया जा सकता है। इससे शरीर को कष्ट नहीं होता तथा कोई थकान भी नहीं होती है।

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी योग सिखाने वाले केन्द्रों में जाने के लिए तर्क करते हैं जहां योग की सही तरीके से शिक्षा दी जाती है।



स्वस्थ रिटायरमेंट लाइफ के लिए टिप्स

- ✓ संतुलित आहार ले।



न्यूट्रियंट से संपन्न खाद्य सामग्री का भोजन में समावेश करें।
अनाज फल और सब्जियों का अधिक उपयोग करें।
नियमित आहार ले।

वरिष्ठ नागरिक दूसरों के समान स्वस्थ रहें और स्वस्थ महसूस करें।

सेवानिवृत्ति के बाद बचत और निवेश :

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यह सलाह दी जाती है कि अपनी मेहनत की कमाई से जमा किए हुए धन को राष्ट्रीयकृत बैंकों, पोस्ट ऑफिस और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में अपना धन सुरक्षित जमा करें। वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सुरक्षित बचत के लिए निम्न योजनाएं उपलब्ध हैं।

- वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कृत बैंकों में बचत के लिए ब्याज दर 9% 5 वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम बचत सीमा 15,00,000/- तक है।
- एसबीआई- निवासी भारतीय वरिष्ठ नागरिक जमा योजना ब्याज दर दिनों के अनुसार है न्यूनतम 7% और अधिकतम 9.75% वरिष्ठ नागरिकों को 0.5% अधिक ब्याज दर दिया जाता है।
- ब्याज की राशि ईसीएस के द्वारा सीधे वरिष्ठ नागरिक के खाते में जमा की जाती है।
- सावधि जमा (राष्ट्रीयकृत बैंकों में) वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्चतम ब्याज दर - जमा राशि पर अलग-अलग बैंकों में समय सीमा के अनुसार ब्याज तय है।
- बचत बैंक खाता योजना - वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज अधिक दिया जाता है यह सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रचलित योजना है।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक घर योजना - वरिष्ठ नागरिकों के निवेश हेतु एक नई पहल है। सेवानिवृत्त कर्मचारी इसके लिए समीप के डाकघर में संपर्क करें।

निवेश के लिए योजनाओं में ब्याज दर समय अवधि के अनुसार समय-समय पर बदलती रहती है। इसलिए सेवानिवृत्त कर्मचारी संबंधित वित्तीय संस्थान/ डाक अधिकारियों से अपने धन को निवेश करने से पूर्व से सुनिश्चित करें।

निवेश योजनाएं और स्कीम में केवल भूमिका दर्शाई जाती है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अनुरोध है कि बचत से पहले बैंक और डाकघर कर्मचारियों से इसकी पूरी अद्यतन जानकारी प्राप्त करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :

1. क्या सेवानिवृत्त कर्मचारी बैंक के माध्यम से पेंशन पा सकता है ?

उत्तर- सेवानिवृत्त कर्मचारी केवल प्राधिकृत राष्ट्रीय बैंक से पेंशन पा सकता है ना कि निजी व्यवसायिक और शेड्यूल बैंक से। महाराष्ट्र के अंदर स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की सूची कार्मिक विभाग और लेखा विभाग के पास उपलब्ध है जो कल्याण कर्मचारी के पास भी उपलब्ध है।

2. सेवानिवृत्ति समारोह के समय सेवानिवृत्त कर्मचारी को दिए जाने वाले कागजातों की सूची ?

उत्तर- पेंशन भुगतान प्राधिकार पत्र, गणना पत्र, सेवा प्रमाण पत्र, चिकित्सा पहचान पत्र, पेंशनर पहचान पत्र, सेवानिवृत्ति पश्चात् पास पहचान पत्र, सिल्वर मेडल (गोल्ड प्लेटेड) निपटाना राशि का भुगतान जैसे - ग्रेजुएटी, कम्प्यूटेशन, लीव एनकैशमेंट, ग्रुप इंश्योरेंस और भविष्य निर्वाह निधी सभी एनईएफटी के माध्यम से सेवानिवृत्त कर्मचारी के बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है।

3. सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद पहली पेंशन कब पाएगा ?

उत्तर- सेवानिवृत्त कर्मचारी को पहली पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद 3 माह के भीतर या पेंशन पेमेंट ऑर्डर के अनुसार मासिक पेंशन खाते में जमा होने पर मिलेगी।

4. पेंशनभोगी कर्मचारी को पेंशन पे ऑर्डर कहां मिलेगा ?

उत्तर- जैसा पहले बताया गया है कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर सेवानिवृत्ति समारोह में कार्मिक विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन पेमेंट ऑर्डर की 2 प्रतियां मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय से संबंधित ब्रांच को अगले माह के पहले सप्ताह में भेजी जाती है।

संबंधित बैंक पीपीओ प्राप्त होने पर दूसरे या तीसरे सप्ताह में सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा पेंशन ली जाने वाली शाखा में पेंशन पेमेंट ऑर्डर भेज देता है। भुगतानकर्ता बैंक शाखा आवश्यक कार्यवाही कर तत्काल वेतन भोगी को चौथे या पांचवें सप्ताह में सूचित करता है। वेतन भोगी पीपीओ की प्रति भुगतानकर्ता बैंक शाखा से भी प्राप्त कर सकता है।

5. क्या पेंशनभोगी समान बैंक में दूसरी शाखा में अपनी पेंशन स्थानांतरित कर सकता है यदि हां तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है ?

उत्तर- हां पेंशनभोगी उसी बैंक की अन्य शाखा में अपनी पेंशन स्थानांतरित करा सकता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी से अनुरोध प्राप्त होने पर भुगतानकर्ता बैंक शाखा अन्य शाखा को खाता स्थानांतरण संबंधी कार्रवाई करेगी।

6. क्या पेंशनभोगी अपनी पेंशन किसी अन्य बैंक की शाखा में स्थानांतरित करवा सकता है ?

उत्तर- हां, पेंशनभोगी अपनी पेंशन को किसी अन्य बैंक की अन्य शाखा में स्थानांतरित करा सकता है। पेंशनभोगी द्वारा अपनी बैंक को पीपीओ की प्रति सहित बैंक खाता बदलने का अनुरोध देना चाहिए। संबंधित बैंक के अधिकारी पीपीओ का स्थानांतरण (पेंशनर और बैंकर की कॉपी संबंधित शाखा को भेजेगा) संबंधित शाखा पीपीओ की प्रतियां वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी कार्यालय मुख्यालय मुंबई पहुंचाना सुनिश्चित करेगी। मुख्यालय से इसे प्राप्त होने पर पुणे मंडल पेंशन अनुभाग यह बदलाव पीपीओ में दर्ज करेगा और जहां से पेंशन ली जाने वाली है संबंधित बैंक को भेजेगा। उसके बाद संबंधित बैंक की शाखा को भेजा जाएगा। ऐसे मामले में न्यूनतम 60 दिनों का समय लग सकता है।

7. पीपीओ गुम होने की स्थिति में दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले उपाय क्या है ?
उत्तर- पेंशनभोगी बैंक या मंडल लेखा कार्यालय पुणे में इसकी प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है।

8. क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारी पास खाता मंडल से अन्य किसी स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है?

उत्तर- हां, सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी मांग के अनुसार मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय से अन्य किसी पास जारी करने वाले नजदीकी स्टेशन से अपना पास प्राप्त कर सकता है, पास खाता स्थानांतरित करा सकता है। ऐसा करने के लिए सहायक कार्मिक अधिकारी पुणे को एक आवेदन पत्र सौपना होगा। पत्र प्राप्त होने पर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय द्वारा संबंधित कार्यालय को शेष बचे हुए पासों का विवरण देते हुए प्राधिकार प्राप्त सौंपा जाएगा।

9. क्या सेवानिवृत्त कर्मचारी का मेडिकल खाता मंडल से अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है ?

उत्तर- हां, सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी मांग के अनुसार चिकित्सा खाता मंडल कार्यालय से अपने आवास के नजदीक अन्य किसी अस्पताल या स्वास्थ्य यूनिट पर अपनी इच्छा के अनुसार स्थानांतरित करा सकता है, यह सहायक मंडल कार्मिक अधिकारी पुणे और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को संबोधित पत्र के माध्यम से किया जा सकता है। जिसमें चिकित्सा पहचान पत्र में आगे की कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक या अस्पताल के अधिकारियों द्वारा, संबंधित अपेक्षित स्थान के अधिकारियों को पत्र द्वारा की जाएगी।

10. क्या सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवानिवृत्ति के 1 साल के बाद कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट पा सकता है ?

उत्तर- सामान्यतः कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट 1 वर्ष के अंदर प्रदान किया जाता है यदि 1 वर्ष के बाद उसका आवेदन प्राप्त होता है, तो महाप्रबंधक के अनुमोदन पर ही कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट प्रदान किया जा सकता है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है वह 1 वर्ष के भीतर आवेदन करें।

11. सेवानिवृत्ति के उपरांत कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट पाने के लिए कौन से कागजात आवश्यक है ?

उत्तर- सामान्यतः सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष के भीतर कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मांगे जाने पर केवल निवास बदलने का प्रमाण होना आवश्यक है। महाप्रबंधक 1 साल से अधिक के समय को माफ कर सकता है। (Authority Railway Board Letter No. E(I)98 AL- 28/10, dt. 01.05.1998 and No. F(E) I/2008/AL- 28/15, dt. 01.12.2008)

12. सेवानिवृत्ति के बाद उसी वर्ष तथा भविष्य में कर्मचारी कितने पास/पी.टी.ओ. पाने का पात्र है ?

उत्तर - कर्मचारी किसी भी माह में सेवानिवृत्त होता है तो उस वर्ष 03 सेट पास पाने का पात्र है। कर्मचारी को योजनानुसार अपने पास लेना चाहिए। किसी भी हाल में वर्ष के दौरान 03 सेट से अधिक पास जारी नहीं किए जा सकते (उदाहरण के लिए यदि सेवानिवृत्ति से पूर्व 02 सेट पास लिए गए तो शेष 01 सेट पास सेवानिवृत्ति के बाद लिया जा सकता है। जिस वर्ष कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है उस वर्ष) सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद पी.टी.ओ. नहीं दिया जा सकता भले ही उस वर्ष उसके खाते में पी.टी.ओ. देय हो।

13. क्या आई.सी.एफ. के पेन्शनर की समस्याओं को हल करने के लिए कोई व्यवस्था है ?

उत्तर - पुणे मंडल पर रह वर्ष के दौरान 15 जून और 15 दिसंबर को पेन्शन अदालत आयोजित की जाती है जिसमें पेन्शनर की समस्याओं का निपटान किया जाता है। कर्मचारी समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिलने पर पहले से ही सहायक कार्मिक अधिकारी को संबोधित आवेदन के माध्यम से अपनी समस्या प्रस्तुत कर सकता है आवेदन प्राप्त होने पर उस संबंध में उचित कार्रवाई कर संबंधित को सूचित किया जाता है और यदि कोई शिकायत शेष हो तो उन्हें पेन्शन अदालत में उपस्थित रहना चाहिए।

14. कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के बाद छुट्टियों का वेतन और रेल आवास न खाली करने पर ग्रैच्युएटी रोकी जा सकती है यह किस नियम के अधीन रोकी जाती है ?

उत्तर - सेवानिवृत्ति कर्मचारी को यदि सेवानिवृत्ति के पश्चात् रेल आवास में रहना है तो सेवानिवृत्ति के पश्चात् 04 माह तक वह रेल आवास में रहने की अनुमति दी जा सकती है। उचित दस्तावेज सहित विशेष रूप से निवेदन करने पर चिकित्सकीय/ शैक्षिक कारण के लिए उन्हें और 04 माह का अवधि बढ़ा कर दिया जा सकता है। तथापि, बढ़ा दिए गए अनुमत कालावधि में कर्मचारी को रेल आवास खाली करना होगा उनके नए निपटान पते सहित प्रशासन को सूचित करना होगा। बढ़ाए गए कालावधि के लिए कर्मचारी की ग्रैच्युएटी रोकी जाएगी और आवास खाली करने पर और उस संबंध में पत्र दिए जाने पर ही रोकी गई ग्रैच्युएटी कर्मचारी को दी जाएगी।

15. सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को अपने अंतिम माह का वेतन कहां प्राप्त होगा ?

उत्तर - सेवानिवृत्त कर्मचारी का अंतिम वेतन हमेशा की तरह ही उसी बैंक में जमा होगा जिस बैंक में उसका मासिक वेतन जमा होता है। तथापि आर्टीजन स्टाफ और पर्यवेक्षक स्टाफ के मामले में दावा न की गई प्रोत्साहन राशि उनके पेन्शन के बैंक में ई.सी.एस के माध्यम से भेजी जाएगी।

16. सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी ने मंडल को कौनसे दस्तावेज देना आवश्यक है ?

उत्तर - सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी ने नीचे उल्लिखित प्राधिकारियों के निम्नलिखित दस्तावेज सेवानिवृत्ति की पहले या उसी दिन जमा करने आवश्यक है-

चिकित्सा कार्ड, कर्मचारी पहचान पत्र, आर.सी पास और सिम कार्ड (यदि हो) - संबंधित शॉप/पे यूनिट के सीनियर सेक्शन इंजीनियर/ नियंत्रण अधिकारी को या फिर कर्मचारी को निर्देशित अधिकारी को सौंपे

17. क्या (क) सेवानिवृत्ति के पश्चात् मिलने वाले पास, (ख) चिकित्सा लाभ के लिए रक्षा विभाग में की गई सेवा गिनी जाएगी ?

उत्तर - (क) सेवानिवृत्ति के पश्चात् मिलने वाले पास के लिए रक्षा विभाग में की गई सेवा नहीं गिनी जाएगी - दिनांक 08.05.2008 का पत्र संख्या - E(W)2006PS 5-1/28

(ख) चिकित्सा लाभ के लिए रक्षा विभाग में की गई सेवा नहीं गिनी जाएगी।

18. सेवानिवृत्त कर्मचारी/ परिवार का सदस्य चिकित्सा पहचान पत्र/ पेन्शनर पहचान पत्र गुम होने के मामले में क्या करें ?

उत्तर - सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आग्रह है कि चिकित्सा पहचान पत्र / पेन्शनर पहचान पत्र कीमती दस्तावेज होने के कारण उसे अपनी संरक्षित अभिरक्षा में रखें। तथापि उसे गुम होने पर सेवानिवृत्त कर्मचारी/ परिवार के सदस्य को ड्युप्लिकेट चिकित्सा पहचान पत्र / पेन्शनर पहचान पत्र के लिए कार्मिक विभाग को आवेदन करना होगा और उस आवेदन के साथ चिकित्सा पहचान पत्र / पेन्शनर पहचान पत्र गुम होने के लिए पुलिस थाने में दर्ज की गई एफ.आई.आर. की कापी और दंड के रूप में भरे गए रू. 35/- की पावती संलग्न करनी होगी।

19. क्या (क) पिछले वर्ष के पास वर्तमान वर्ष में लिए जा सकते हैं (ख) अगले वर्ष के पास वर्तमान वर्ष में लिए जा सकते हैं ?

उत्तर - (क) पिछले वर्ष नहीं लिए गए पास इस वर्ष लिए जा सकते हैं। तथापि उन्हें 30 मई तक लिया जा सकता है और उनकी वैधता केवल 30 मई तक होगी।

(ख) अग्रिम आरक्षण हेतु अगले वर्ष के खाते से सेवानिवृत्त कर्मचारी अंतिम तिमाही (अर्थात् अक्तूबर-दिसम्बर) में पास ले सकते हैं। यह अग्रिम रूप से लिए गए पास केवल अगले वर्ष की 1 जनवरी से वैध होते हैं।

20. पेन्शनर/परिवार पेन्शनर के देहान्त के मामले में उनके परिवार के सदस्य ने क्या करना चाहिए ?

उत्तर - पेन्शनर/परिवार पेन्शनर के देहान्त के मामले में उनके परिवार के सदस्य ने पेन्शन निकालनी वाले अधिकारी को मृत्यु प्रमाणपत्र की कापी सहित सूचना देनी चाहिए। मंडल प्रशासन के बिल अनुभाग, निपटान अनुभाग /पी.बी. और पेन्शन अनुभाग/लेखा को भी उन्होंने मृत्यु प्रमाणपत्र की कापी सहित सूचित करना चाहिए। पेन्शनर की मृत्यु के मामले में पत्नी/पत्नी नें कार्मिक शाखा के पास / चिकित्सा पहचान पत्र जारी करने वाले सेक्शन से संपर्क करना चाहिए पेन्शनर का नाम कम कर पास/ आर.ई.एल.एच.एस पहचान पत्र को यथावत् अद्यतन करना चाहिए।

21. सेवानिवृत्ति के उपरान्त पास/ आर.ई.एल.एच.एस कार्ड में आश्रितों को शामिल करने या हटाने के लिए पेन्शनभोगी/ परिवार पेन्शनभोगी को क्या करना चाहिए ?

उत्तर - आश्रितों को शामिल करने/हटाने के लिए पेन्शनभोगी/परिवार पेन्शनभोगी को विश्वस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर सेवानिवृत्ति के बाद पास/मेडिकल कार्ड सेक्शन में आश्रितों को शामिल करने/हटाने के बारे में विवरण प्रस्तुत करने चाहिए। जब आश्रित पात्र/ अपात्र हो जाएं, जैसा भी मामला हो।

22. पेंशन क्या है ?

उत्तर : अधिवाषिता (60 वर्ष) की आयु पूरी करने पर चिकित्सकीय रूप से अस्वस्थ घोषित किये जाने, अनिवार्य अथवा स्वच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा पद के समाप्त होने पर कर्मचारी को हटाए जाने पर वह रेलवे पेंशन का हकदार होगा।

23. पेंशन के लिए कौन पात्र है ?

उत्तर : कर्मचारी जो 16.11.1957 को अथवा उसके बाद कार्यरत था। ऐसे सभी कर्मचारी जो 01.01.1986 को एसआरपीएफ (अंशदायी) नियम के अंतर्गत शासित नहीं होते हैं। पेंशन योजना के लिए वे कर्मचारी पात्र है जिनकी नियुक्ति 31.12.2003 तक हुई है।

24. परिवार पेंशन कब शुरू की गई ?

उत्तर: (रेलवे बोर्ड के दिनांक 17.01.1964 और 04.07.1964 के पत्र संख्या: एफ(पी) 63पीएन/40)

25. वर्तमान में पेंशन का कितना प्रतिशत सामान्य परिवार पेंशन के रूप में दिया जाता है ?

उत्तर : मूल वेतन का 30% (न्यूनतम रू. 9000/-)

26. न्यूनतम परिवार पेंशन कितनी है ?

उत्तर : 01.01.2016 से पहले रू. 3500/- और 01.01.2016 के बाद रू. 9000/-

27. क्या 25 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित पुत्री परिवार पेंशन की पात्र है ?

उत्तर : हां 06.09.2007 से पात्र है (आरबीई 116/07)

28. परिवार पेंशन के लिए कौन - कौन पात्र है ?

उत्तर : यदि रेल सेवक पुरुष है तो कानूनी रूप से तलाकशुदा पत्नी/पत्नियों सहित उसकी अपनी पत्नी और पत्नियां

(क) कानूनी रूप से तलाकशुदा पति सहित

(ख) सौतेले पुत्र सहित अपना पुत्र, दत्तक पुत्र 25 वर्ष की आयु तक अथवा जब तक उसे रोजगार मिलता है, जो भी पहले हो।

(ग) पुत्री, सौतेली पुत्री तथा दत्तक पुत्री/विधवा और तलाकशुदा पुत्री बशर्ते वह अंतिम पेंशन भोगी पर आश्रित हो।

(घ) पिता और मां दत्तक अभिभावक सहित

29. क्या अविवाहित पुत्री परिवार पेंशन की पात्र है ?

उत्तर : अविवाहित पुत्री परिवार पेंशन की पात्र है।

30. वह किस समय तक परिवार पेंशन की पात्र रहेगी ?

उत्तर : उसके विवाह होने अथवा मृत्यु तक जो भी पहले हो

31. क्या शाररिक रूप से विकलांग अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चा परिवार पेंशन का पात्र ?

उत्तर : हां, ऐसा बच्चा जो 40% से अधिक विकलांग है और जिसका आय का कोई जरिया नहीं है अथवा जिसकी प्रतिमाह आय रु. 9000/- से कम है वह परिवार पेंशन का पात्र है।

32. वह कब परिवार पेंशन का पात्र होता है ?

उत्तर : उसकी बारी आने पर वह परिवार पेंशन का पात्र होगा।

33. क्या पेंशन भोगी अपनी सेवानिवृत्ति के समय विकलांग बच्चे के बारे में घोषणा कर सकता है ?

उत्तर : हां, सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भोगी उसके नाम की घोषणा कर उसका नाम रिकार्ड में दर्ज करवा सकता है।

34. क्या तलाकशुदा पुत्री परिवार पेंशन की पात्र है ?

उत्तर : हां, बशर्ते अंतिम रूप से तलाक हो चुका हो अथवा फाइल किया गया हो जब पेंशनभोगी जीवित था तथा वह पेंशन भोगी पर पुरी तरह आश्रित थी।

35. पेंशन कम्प्यूटेशन का फार्मूला क्या है ?

उत्तर : कम्प्यूटेशन का फार्मूला पेंशन का 40% X 12 X उचित आयु फैक्टर

36. क्या पेंशन भोगी अपनी पेंशन का 40% से कम कम्प्यूटेशन करवा सकता है ?

उत्तर : हां, वह 40% से कम कम्प्यूटेशन का विकल्प दे सकता है।

37. सेवानिवृत्ति उपदान क्या है ?

उत्तर : यह राशि एकमुश्त रूप में रेल सेवक को सेवानिवृत्ति अथवा चिकित्सकीय रूप से अस्वस्थ घोषित करने पर प्रदान की जाती है।

38. डीसीआरजी की अधिकतम राशि कितनी हो सकती है ?

उत्तर : रू.20,00000/- (बीस लाख)

39. उपदान की गणना के लिए अधिकतम अर्हक सेवा कितनी होती है ?

उत्तर : अधिकतम अर्हक सेवा 33 वर्ष है।

40. उपदान की गणना का फार्मूला क्या है ?

उत्तर : लिया गया अंतिम वेतन + मंहगाई भत्ता X अर्हक सेवा / 2

स्वस्थ, शांतिमय सेवानिवृत्त जीवन जिएं!

अस्वीकरण

यह पुस्तिका सरल भाषा में तैयार की गई है तथा इसमें निपटारा लाभों के बारे में आवश्यक सूचना दी गई है। कृपया नोट करें कि यह पुस्तिका वर्तमान रेलवे नियमों के स्थान पर नहीं है तथा इसे संदर्भ के रूप में उद्धृत न किया जाए। किसी विसंगती अथवा संदेह के मामले में संबंधित कोड, मैनुअल का संदर्भ देखा जाए।

-*-*-*-*-

INDEX

Sr.No.	TOPIC	Page No.
1)	Introduction	29
2)	Benefits under normal/voluntary retirement	30
3)	Qualifying service / Non qualifying service	31
4)	Gratuity	32
5)	Pension	34
6)	Encashment of leave	40
7)	Provident Fund	41
8)	Deposit linked Insurance scheme	42
9)	CGEGIS (Central Government Employees Group Insurance Scheme)	42
10)	Medical Facilities	43
11)	Compassionate allowance	44
12)	National Pension Scheme	45
13)	Post Retirement Complimentary and Special Passes	46
14)	Retention of Quarter after Retirement	50
15)	Holiday Home	51
16)	Health Tips - "YOGA" – a way of life	52
17)	Savings and investment after retirement	55
18)	Frequently Asked Questions	56
19)	Disclaimer	63

WHAT YOU MUST KNOW :

This handbook covers all those areas concerning Pension rules such as calculation of Gratuity, Pension, Commutation of Pension, Family Pension, Qualifying service, Non-Qualifying service, Nominations, Benefits after retirement such as Encashment of leave, Group Insurance Scheme, Composite Transfer Grant, Availing of Post Retirement Passes and Medical benefits, Tips on health & Savings and FAQs etc.

Pension Rules will be applicable to :

- ❖ Staff those who were in service on or after 16.11.57 and have opted in favour of pension.
- ❖ All those employees not governed under SRPF (Contributory) Rules as on 01.01.1986.
- ❖ This pension scheme is applicable only to those employees appointed up to 31.12.2003 and not to those who are governed under National Pension System, which was introduced w.e.f - 01.01.2004.

Retirement:

The Railway servant shall retire from service on attaining age of Superannuation at 60 years.

Some Railway employees retire to opt voluntarily on completion of 20 yrs of Qualifying service before the normal retirement. Besides these retirements, the Railway servants become medically invalid (Declared Medically Unfit in all classes) from Railway services and finally in some unforeseen situations the Railway Servants service ceases due to Resignation, Removal or Death. Hence there are various settlement/death benefits that are extended to such retirees / medically unfitted employees / dependants of the demised Railway servants.

Benefits under Normal / voluntary retirement :-

1. Monthly pension
2. Retirement gratuity
3. Commutation of pension (commuted portion of pension will be restored after 15 years)
4. Group **Insurance** (saving fund value with interest)
5. Cash Equivalent of unutilised LAP / LHAP
6. Balance at credit in employee' s Provident fund account
7. Composite Transfer Grant
8. Gold plated silver medal.
9. Kit Pass & Settlement Pass
10. Post Retirement Passes
11. Medical facilities under RELHS 1997
12. Retention of quarters [for a period of (4)+(4) Months]
13. Benefits of staying in Holiday Homes / Officer' s Rest House.

Benefits to family in cases of death of employee while in service :-

- (i) Death gratuity
- (ii) Monthly family pension
- (iii) Balance in employee's Provident fund account
- (iv) Deposit linked insurance.
- (v) Group Insurance (full insurance value + saving fund value with interest)
- (vi) Cash equivalent of unutilized LAP/LHAP
- (vii) Widow Passes.
- (viii) Medical facilities.
- (ix) Retention of quarters. (for a period of (1+1) 2yrs)
- (x) Appointment on Compassionate Grounds.

Qualifying service / Non qualifying service :-

- The service rendered while on duty is qualifying service
- All kinds of leave with pay, training period, joining time.
- Military service rendered before employment in Railways subject to Conditions stipulated.
- 50% of service from temporary status to the date of regular Absorption will be taken as qualifying service for casual labour & ELR services.

- Non-qualifying service are, Periods of Unauthorized absence, Extra-Ordinary leave taken other than on medical grounds, Dies-non, non-Regularization of suspension period, non-payment of Foreign Service contribution.
- Weightage for a period of 5 years is not allowed as an addition to Qualifying service in the case of Voluntary retirement.

GRATUITY :

Retirement Gratuity :

This is a lump-sum payment granted to a Railway servant on his/her retirement or medical invalidation. Retirement Gratuity is payable to:

- Those Railway servants who had completed 5 years of qualifying service the retirement gratuity is payable at a rate of 1/4th of emoluments for each completed 6 monthly period of service subject to maximum of 16½ times.
- Maximum amount payable is Rs. 20,00,000/- w.e.f. 01.01.2016.
- Maximum qualifying service for computation of gratuity is 33 years

Formula for calculation of Gratuity :

Example 1: (Non Running staff)

If Last Pay drawn is Rs 70,000/-in level 8 and DA is 9% Qualifying service is 33 years at the time of retirement, then the retirement gratuity would be:

$$\begin{aligned}
 \text{Gratuity} &= \{ \text{Last Pay Drawn} + 9\% \text{ DA on pay} \} \times \text{Qualifying service}/2 \\
 &= \{ 70,000 + 6300 \} \times (33/2) \\
 &= 76300 \times 16.5 \\
 &= 12,58,950/-
 \end{aligned}$$

Example 2: (For Running staff only)

If Last pay drawn is Rs. 70,000/- in level-6 and applicable DA is 9% and Qualifying service at the time of retirement is 33 years, then Gratuity amount will be as under :

$$\begin{aligned} \text{Gratuity} &: \{ \text{Last pay Drawn} + 55\% \text{ of Pay (Additional benefit to Running staff)} \\ &+ \text{DA (pay} + 30\% \text{ of pay} \times 9\%) \} \times (\text{Total qualifying service} / 2) \\ &= \{70,000 + 38500 + 8190\} \times (33/2) \\ &= 116690 \times 16.5 \\ &= 19,25,385/- \end{aligned}$$

Service gratuity:

Service Gratuity is granted to those railway employees who exit from service before completion of 10yrs of service. In other words when an employee has put in less than 10yrs of service, he is not eligible for pension. On the other hand, he will be entitled for service gratuity in lieu of pension.

- It is payable in addition to the Retirement Gratuity if eligible.
- Dearness Allowance is also included.
- This is paid at the rate of half of his emoluments for every completed 6 monthly period of qualifying service

Example: (If service is less than 10 years)

If Last Pay drawn is Rs 70,000/-and DA is 9%, Qualifying service is 8.5 years at the time of retirement, then the service gratuity would be:

$$70,000 + 6300 \times 8.5 \text{ (No. of yrs. of Q.S)} = 6,48,550/$$

Death Gratuity :

If a Railway servant expires while in service the amount of Death gratuity shall be paid to the family as under:

Qualifying Service	Rate
Less than one year	2 times of basic pay
One year or more but less than 5 years	6 times of basic pay
5 years or more but less than 11 years	12 times of basic pay
11 years or more but less than 20 years	20 times of basic pay
20 years or more	Half of emoluments for every completed 6 monthly period of qualifying service subject to a maximum of 33 times of emoluments.

This is a one-time lump sum benefit payable to the nominee or family member of a Government servant dying in harness. There is no stipulation in regard to any minimum length of service rendered by the deceased employee. Entitlement of death gratuity is regulated as under -

Nominations :

The Railway servant while in service shall declare his family and make nominations in the appropriate Forms, as provided in the Railway Services Pension Rules 1993 for Pension, DCRG, CGEGIS and PF as per IREC.

Pension:

Pension is payable to a Railway employee on attaining the age (60 years) of Superannuation, absorption in Public Sector Undertaking (PSU), after being declared medically unfit, after compulsory retirement or voluntary retirement or if he is discharged owing to abolishment of post shall be entitled to Railway Pension, Gratuity and an option of Commutation of Pension. The general rules regulating Pensions have been mentioned in chapter 2 of the Pension manual.

How Pension is determined ?

Pension now admissible to the employees is as per the 6th CPC recommendations. It shall be, 50% of the emoluments or average emoluments received during last ten months whichever is more beneficial subject to the condition that the employee had completed at least 10 years of Qualifying service (in case of superannuation, Compulsory retirement, employees absorbed in PSU) and 20 years in case of employees who retire voluntarily.

As per Railway Services (Pension) Amendment Rules, 2013 vide its notification dated 23.9.2013, family pension payable is as follows.

- I. In the case of a widow or widower, up-to the date of death or re-marriage, whichever is earlier.
- II. In the case of an unmarried son, until he attains the age of 25 years or until he gets married or until he starts earning his livelihood, whichever is the earliest ;
- III. In the case of an unmarried or widowed or divorced daughter, until she gets married or remarried or until she starts earning her livelihood, whichever is earlier;
- IV. In the case of parents, who are wholly dependent on the railway servant immediately before the death of the railway servant, for life; provided the deceased railway servant is not survived by a widow or an eligible child. The family pension wherever admissible to parents, shall be payable to the mother of the deceased railway servant failing which to the father of the deceased railway servant. Parents shall be deemed to be dependent on the railway servant if their combined income is less than the minimum family pension admissible and dearness relief thereon.

Normal Family Pension:

Family pension shall be payable at a uniform rate of 30% of basic pay in all cases and shall be subject to a minimum of 9,000/-p.m + Relief The family pensioners of the deceased employees having less than 10 years of qualifying service are entitled for ordinary family pension only and not Enhanced Family Pension.

Enhanced Family Pension (under RSPR 75(4) (i) (a) :

(Authority: Rly Bd. Letter No. F (E) III/2008/PNI/13, dated: 15.09.2008)

The enhanced family pension under Rule 75(4)(i)(a) shall be payable to the family of Railway servant, who dies while in service, from the date of death of the Railway servant for a period of 10 years. In such cases, 50% of the pay last drawn by the deceased employee will be payable for first 10 years from the date of demise.

Employees who are governed under Employees Compensation Act, 1923, who dies while in service after having rendered not less than 7 years continuous service, the rate of family pension payable to the family shall be equal to 50% of last pay drawn or 1.5 times of the family pension whichever is less vide Rule 75 (4)(ii)(a) of RSPR, 1993.

In case of Superannuation / Voluntary Retirement / Medical Unfit / Compulsory Retirement, 50% of the pay last drawn by the employee will be payable for a period of 7 years following the date of death of the retired employee or till he would have reached the age of 67 years whichever is earlier.

Eligibility of two family pensions :-

Grant of two family pensions to a Military Pensioner after his re-employment in Civil Service or Civil Post is sanctioned vide Railway Board's letter No.F(E) III/2005/PN1/32 dt. 11.2.13 (RBE No.12/2013) and these orders are applicable w.e.f. 24.9.2012.

Family pension admissible to a beneficiary in respect of one deceased employee/pensioner is not to be counted as income for the purpose of determination of eligibility for another family pension which is admissible in connection with another deceased employee/pensioner. However, any other income/earning of the beneficiary under consideration will be counted towards income for deciding eligibility for family pension vide Railway Board letter No.F(E) III/2005/PN1/16 dt. 4.1.2012 (RBE No.5/2012)

Eligibility of children from a void or voidable marriage for family pension :-

Child/Children of a deceased Government employee/Pensioner born to an ineligible mother (illegally wedded wife) are eligible for Family Pension vide Railway Board letter No.F(E) III/2007/PN1/5 dt. 14.1.2013 (RBE No.150/2013) provided the competent authority is satisfied about the eligibility.

Eligibility of Widowed/Divorced daughter for family pension :-

Eligibility of Widowed/Divorced daughter for family pension is payable to the children as they are considered to be dependent on the Government servant/pensioner or his/her spouse vide Railway Board letter No.F(E)III/2007/PN1/5, dt 26.09.2013.

Eligibility of family pension in Missing cases :-

Family pension to the eligible family member of the missing employee/ pensioner may be sanctioned after a period of six months from the date of registration of FIR with the police. Family Pension would accrue with effect from the date of lodging of FIR or from the date immediately succeeding the day till pension had been last paid to the pensioner whichever is later. (Authority Railway Board letter No.F(E) III/2009/PN1/7 dt. 27.10.2011. RBE No.154/2011)

All settlement dues will be paid to the eligible family member of the missing railway employee like in any superannuation case. After expiry of 6 months from the date of registering FIR, it will be treated as a death case duly paying the difference in settlement dues i.e. DCRG & Group Insurance. Grant of family pension does not apply to case where the employee disappears after committing fraud or crime vide Rly.Board letter No.F(E) III/2009/PN1/7 dt. 15.7.13 (RBE No.68/2013).

Amount of Minimum, Maximum Pension:

Minimum Pension / Family Pension Rs .9,000/- + Dearness relief

Maximum Pension Rs 1,25,000/- + Dearness relief

Maximum family pension 75,000/- +Dearness relief

Formula for Calculation of Pension:

Last Pay Drawn /2 (or) Average emoluments of last 10 months pay /2, whichever is beneficial to the employee.

Commutation of Pension:

Railway servant retiring on superannuation / VR or on compensation pension can opt for commutation of pension not exceeding 40% of the pension sanctioned.

No commutation is paid to the employees against whom D&AR / criminal case is pending.

Commutation will be paid to medically unfit / compulsorily retired employees only after medical examination by Medical Board.

Formula for Calculating Commutation Amount:

Maximum 40% of pension(x) 12 (x) Age factor (age on next birthday)

Example: If original Pension is Rs 35,000/- for a Railway servant retiring on superannuation the commutation value would be as under:

Commutable portion of pension is = 35,000/- X 40% = 14,000/-

Commutation = 14,000 X 12 X 8.194 [(60yrs) age factor for next birthday]
= 13,76,592/-

Restoration of Pension :-

Commutated portion of pension will be restored after the completion of 15 years from the date of payment of commutation. The date for restoration of Commuted portion of Pension will be exhibited in the Pension payment Order and the Pensioner can approach the Bank Authorities for restoration after 15 yrs. The Pensioner can approach the Personnel/ Accounts Branch for assistance if any, in case of difficulty.

Revision of pension:

Consequent to change in circumstances such as implementation of various orders of Railway Board with respect to fixation of pay, MACP, granting of increment, removal of anomaly and Pay Commission recommendations, the pension undergoes revision.

Encashment of Leave Salary :-

The employee at the time of settlement is entitled for encashment of leave at his credit for a maximum of 300 days (Unutilised LAP).

As per the 7th Pay Commission the shortfall in 300 days LAP can be made good by adding LHAP.

If an employee for example, has only 285 days of LAP balance at credit at the time of Retirement and enough number of balance days of LHAP at credit, then for the purpose of computing Leave Encashment, only 15 days of LHAP will be taken into account, even though he would have had more than 15 days of LHAP. (i.e) The retiree will be paid for 285 days of Leave on Average Pay plus (+) 15 days of Leave on Half Average Pay.

Illustration: If last pay drawn is 70,000/- then the leave encashment is as under :
For Non Running staff :

Example

If 300 days LAP is balance:

Last pay drawn + 9 % DA (applicable as on date) x 300 days / 30 days
=70,000+6,300 x 300/30 = 7,63,000/

In case the employee has 285 days LAP and 50 days of LHAP at his credit then the leave encashment would be as follows:

70,000+6,300 x 285/30 =7,24,850/- (A)

Though the employee has 50 of days LHAP at his credit he is entitled only for 15 days of LHAP for encashment.

Last pay drawn + 9% DA /2 x 15 days / 30 days

$$70,000+6300/2 \times 15/30 = 19.075/- \text{ (B)}$$

Thus the total leave encashment would be A + B =7,24,850 +19.075=7,43,925/-

For Running staff :

If 300 days LAP is balance:

$$= \frac{\text{Last pay drawn} + 30\% \text{ of pay} + 9\% \text{ DA by adding } 30\% \text{ of emolument in basic pay}}{2} \times 300$$

$$= \frac{70000 + 21000 + 9\% \text{ of } (70000+21000)}{2} \times 300$$

$$= \frac{99190}{2}$$

$$= 99190/2 \times 300$$

$$= 9,91,900/-$$

Provident Fund:

The amount of PF subscription and VPF deducted from monthly salary and the interest thereon will be paid to the railway servant at the time of retirement or in the event of death to the nominees as the case may be.

The Railway servant may draw 90% of the PF amount at his credit months before retirement without assigning any reason for preparatory to his retirement.

The recovery of PF in respect of Railway servant will not be made in last three months of his retirement.

Deposit Linked Insurance Scheme (DLI)

This scheme is linked with the balance amount available in the PF account of the employee at the time of demise while in service. There is no extra subscription required towards DLI. Maximum amount admissible under this scheme is Rs.60,000/- At least 5 years of service is required to benefit under this scheme. The balance at the credit of such subscription shall not at any time during the three years preceding the month of death have fallen below the following limits (w.e.f. 6.6.2009).

(Authority: RBE No.238/99 & RBE No.221/09)

S.No	Subscribers' Grade pay/Level	Minimum amount to be maintained
1.	Grade Pay 4800/- (PB-2) /Level 8 or more	Rs 25,000/-
2.	Level 6 to Level-7 (PB-2)	Rs 15,000/-
3.	Pay Band 1 (5200-20200)/ Level 1 to 5	Rs 10,000/-
4.	Pay Band 1S (4440-7440) and Grade Pay 1300/- or more but less than 1400/-	Rs 6,000/-

CGEGIS (Central Government Employees Group Insurance Scheme) :

The scheme came into effect from 1-1-1982. The rates of subscription per month shall be as follows:

Group	Monthly recovery	Insurance cover
Group C & D	30	30,000/-
Group B	60	60,000/-
Group A	120	1,20,000/-

In case of death of employee the amount of insurance covered and contribution with interest will be paid to the family / nominee.

In the case of retirement, only savings portion of the subscription plus interest will be paid to the Railway servant.

Medical Facilities :-

For Retirement/VR:

A minimum period of 20 years qualifying service is required for Railway servant to join the RELHS 1997 (Retired Employees Liberalised Health Scheme'97) and such Railway servant shall exercise option three months in advance prior to his retirement to join the Scheme. Henceforth enrollment of RELHS is mandatory for all retiring employees vide Rly. Board's Letter No. 2011/H/28/1/RELHS/Court Case dt 31-5-2012.

RELHS(Retired Employees Liberalized Health Scheme)

	Levels in Pay Matrix as per 7 th CPC	Subscription amount to Join RELHS.
i)	Level 1-5	Rs 30,000/-
ii)	Level 6	Rs 54,000/-
iii)	Level 7-11	Rs 78,000/-
iv)	Level 12 & above	Rs 1,20,000/-

- Basic Pay or the above amount which ever is less will be recovered,

Note: -

1. Son above 21yrs can be included in the RELHS card subject to the condition they are unmarried and unemployed and are fully dependent on the pensioner and his/her spouse. (Rly Bd's letter No.2008/H-I/ 2/15 dt. 16.02.2009)
2. Retiring employee/spouse can avail medical attendance for first two pregnancies of married daughters at concessional rates. (Rly Bd's letter No.2009/H/23/2 dt.11.12.2009)

Fixed Medical Allowance (FMA) :-

Retired employees' with 20 years of qualifying service are eligible for grant of FMA at the rate of Rs 1,000/-per month and the same is paid along with pension / family pension subject to the following conditions. All employees retired on superannuation are eligible for FMA who are eligible for pension.

- i. The pensioner/family pensioner is residing beyond 2.5 kms from the nearest health unit.
- ii. The pensioner/family pensioner is not availing the facility of OPD (except in cases of chronic diseases)

Joining RELH Scheme is not a pre condition to claim FMA mere eligibility to enroll under the scheme is sufficient. The widow who has been appointed on Compassionate grounds is not eligible to draw FMA vide Railway Board's letter.No.PC-V/2006/A/Med/1 dt.15.09.2009 (RBE.No.168/2009)

Pensioners/Family Pensioners are allowed for one change in the option in the life time of a pensioner/family pensioner to avail FMA which should be supported by a proper proof for change in residential address, vide Railway Board's letter.No.PC-V/98/1/7/1/1, dt.15.07.2002 (RBE.No.107/2002). Pensioners who had retired before 21.4.1999 option for FMA can be considered by Pension Disbursing Authority (Bank). All cases on or after 21.4.1999 pension sanctioning authority is competent for sanction of fixed medical allowance vide Railway Board letter.no. PC-V/2011/A/Med/1, dt.26.08.2011.

Compassionate Allowance :-

A Railway Servant who is dismissed or removed from service shall forfeit his pension & gratuity. Provided that the authority competent to dismiss or remove him from service may if the case is deserving of special consideration sanction compassionate allowance not exceeding 2/3rd of pension or gratuity or both which would have been admissible to him if he had retired on compensation pension. A compassionate allowance so sanctioned shall not be less than Rs 9,000/- w.e.f.1.1.2016.

NATIONAL PENSION SCHEME (NPS):

All employees who are covered under NPS are eligible for leave salary, Group Insurance. The accumulated pension wealth of the subscriber will be dealt as per Railway Board's letter RBA 21/2013 dt. 16.8.2013.

As per the Railway Board letter. No: 2010/AC-II/21/18 dt.16.08.2013, the following procedures/modalities will be observed in respect of those employees who are covered under National Pension System and who exit service either on Superannuation or otherwise:

- A. **On Superannuation** :At least 40% of the accumulated Pension wealth of the subscriber needs to be utilized for purchase of annuity providing for monthly Pension to the subscriber and balance is paid as lump sum payment to the subscriber. As envisaged in the above mentioned Railway Board's letter, **Annexure 1 (claim form)** will be submitted for withdrawal of accumulated Pension wealth of subscriber.
- B. **Upon Death**: The entire accumulated Pension wealth (100%) would be paid to the nominee/legal heir of the subscriber and there would not be any purchase of annuity/monthly pension. As envisaged in the above mentioned Rly. Board's letter, **Annexure 3 (claim form)** will be submitted for withdrawal of accumulated Pension wealth of subscriber.
- C. **Exit from NPS before the age of normal Superannuation (irrespective of cause)**:Atleast 80% of the accumulated Pension wealth of the subscriber needs to be utilized for purchase of annuity providing for monthly Pension to the subscriber and balance is paid as lump sum payment to the subscriber. As envisaged in the above mentioned Rly. Board's letter, **Annexure 2 (claim form)** will be submitted for withdrawal of accumulated Pension wealth of subscriber.

Post Retirement Complimentary and Special Passes

Post retirement passes are issued to the retired employees and to their eligible dependants in the event of death or exit from service.

Grant of full set of Post Retirement Complimentary Pass

Employees who have rendered 20 years of service are eligible for full set of post retirement complimentary pass vide Railway Board's letter No.E(W) 2016/PS 5-2/9 dt. 24.09.2018. These orders are applicable w.e.f. 24.09.2018 vide Railway Board's letter No.E(W) 2013/PS 5-1/7 dt. 12.3.2014.

Category	No. of passes admissible in one year
Group A & B	
With railway service of 20 years or more	3 sets
Group C & D	
With railway service of 20 years or more	2 sets

Entitlement of Post Retirement Complimentary Passes :-

Training period before absorption into regular posts is reckoned for counting of Rly service for determining eligibility for post retirement passes.

Continuous service rendered after attaining temporary status is counted for service for determining eligibility for post retirement passes.

The following services are also reckoned for determining the eligibility for post retirement passes:

1. Training period before absorption to regular post.
2. Services rendered by canteen employees in statutory and non-statutory canteens.
3. 50% of the services rendered in other PSUs/military to make up any shortfall in services to fulfil the qualifying service of 20 years provided the service rendered in PSU/Military are counted for qualifying service for calculation of Pension.

Note: Retired employees/widows are not entitled for PTO.

Settlement Pass / Kit Pass :

Employee in the event of retirement and widow/widower in the event of death of employee are issued passes for self/family members/dependents for transportation of personal effects to the place where employee / family intend to settle after retirement/death of employee. Such an application for settlement pass shall be submitted within one year of retirement / death and the validity of Kit pass is for a period of three months and for settlement pass the validity is one month.

However, GM can condone delay up to two years from the date of retirement /death. Kit pass is admissible for free transportation of house hold effects up to specified limits in terms of Rly. Bd's Letter No E (W) 96 PS5-9/1 dated 1/6/2000. Revised entitlement of kit pass on implementation of VI CPC recommendations have been issued in terms of Rly. Bd's letter No. E (W) 2004 PS 5-9/1 dt 17.06.09

Widow Complimentary Pass

Widow / widower of the retired employees who have opted for the widow pass scheme are eligible for half the number of post retirement pass that the deceased employee would have been eligible for the service rendered/ or was receiving at the time of his / her demise or retirement.

In case of demise of the railway servant even if the service rendered is less than 20 years, widow / widower is entitled for grant of one set of pass every alternative year.

Availing of Pass after Retirement / Demise of the Railway servant

Retired employees /spouse of the deceased employee may avail their Pass either in the place of retirement or at the place of stay. The Pass can be availed by the employee / spouse either in person or sending the request by registered post.

Provision of Companion in lieu of Attendant in Post Retirement Complimentary Pass.

Retired Railway employee/widow of 70 years of age and above, who are entitled for I class / I A post retirement complimentary / widow passes, may be allowed to take a companion in the same class by paying 1/3rd of difference of fare between sleeper class / second class and the higher class in which the retired railway employees / widow travels, in all trains including Rajdhani / Shatabdi trains, subject to the existing restriction regarding number of berths/seat in Rajdhani/Shatabdi trains.

Note : *No age limit for Companion.*

The above provision is not available when the family members of the retired employee of age below 65 years, travel with the retired railway employees/spouses

Eligibility members for Post Retirement Complimentary Passes :

The retired employee can include his own family members for issue of complimentary pass. Widow mother /widow and legally divorced daughter can also be included.

Dismissed and removed employees on or after 26.10.2005 whose Gratuity / Pension withheld / cut consequent on D&AR actions are not eligible for Post retirement Pass but eligible when they are granted compassionate allowance.

Option for Widows Appointed on Compassionate Grounds for Drawal of Widow Passes

Widows appointed on compassionate grounds as Railway employees have one of the two options for drawal of passes on their appointment and retirement.

1. They can either draw passes in their capacity as Railway employee (or)
2. They can avail Widow Pass in her capacity as widow of deceased employee.

Option once exercised shall be Final and irreversible.

Advance Passes

If the current year's passes are exhausted by the retired railway servant, he can avail of passes from the next year's pass account as advance pass. Such advance pass can be applied 120 days in advance.

Special Pass on Medical Grounds

Retired employee/spouse suffering from heart ailment / cancer who joined in RELHS 1997, are eligible for issue of special passes on medical grounds from the place of residence to the hospital referred and back with the recommendation of the competent hospital authorities.

Other conditions and entitlement:

In cases where both husband and wife are retired railway servants they may avail the complimentary passes on each account.

When a totally blind retired railway servant (blind in both eyes) if travels alone can take one attendant in the same class eligible to him on production of certificate from the medical officer concerned, duly including attendant's name in the Post retirement pass.

A child adopted after retirement may be included in the post retirement Complimentary Passes with necessary proof for adoption.

A photo identity card to the retirees and spouses is issued to avail post retirement passes and they should carry the ID card while on travel.

Validity of ID card for Post Retirement / Widow pass holders is life time.

Composite Transfer Grant (CTG)

CTG at the rate of 80% of last drawn basic pay is granted to the retired railway servant to transport his personal effects to his place of settlement when the place of residence changes beyond the radius of 20 kilometers and 1/3rd of last drawn Basic pay it is within 20.km from HQ.

Merely the proof for change of residence is sufficient to claim CTG and the same shall be claimed within one year from the date of retirement and beyond one year, GM has power to condone the delayed claim. (Authority Railway Board Letter. No.E(I)98 AL-28/10, dt.01.05.1998 and No.F(E)I/2008/AL-28/15, dt.01.12.2008).

Retention of Quarter after Retirement :

The retired Railway Servant is entitled to retain the quarters for a period of 4 months on normal rent and for another period of 4 months on educational/medical grounds on twice the normal rent. In the case of Deceased employees' family members, they can retain the quarters for a period of 24 months. DCRG will be released on vacation.

Holiday Homes

There are several Railway Holiday Homes available throughout the Indian Railways. The retired railway employees can avail the benefit of accommodation of Holiday Homes on par with the serving railway employees.

Pensioner's Association

It is advisable that retired employees can also enroll themselves in a Pensioners Association to keep themselves informed about the latest changes in extant rules regarding pension.

HEALTH TIPS

a. “YOGA” – a way of life :



The origin of Yoga as a discipline had originated several thousand years ago. No doubt the founder fathers would have been the sages of that period. But, as on date it can be said that yoga is not confined to only those saints or hermits who used to live in seclusion in forests and mountains. Yoga has been reoriented to suit the modern day life style. In fact the present day life style with its inherent occupational hazards had thrust the mankind to turn towards something that will bail him out of such a crisis and this knowledge and practices of YOGA seems to be the answer. Even the modern medical sciences have in fact agreed to the fact that yogic practices would be the solution to prevention and cure of many ailments.

The literal meaning of the Sanskrit word Yoga is YOKE. It also means, uniting the individual spirit with the universal spirit of God. Yogic practices are believed to have a potential for improvement of physical health by encouraging better sense organs and thereby inducing tranquility and serenity of mind.

Asanas :


These are special patterns of postures that stabilize the mind and the body through static stretching. Their aim is to establish proper system in the neuromuscular tonic impulses and improve the general muscle tone. Two basic principles governing the performance of asanas are stability and comfort. This suggest that the nature of asanas is psychoneurophysical and not only physical. Every asana should be performed effortlessly and maintained for a comfortable time. There should be no jerks and the performance of asana should not lead to undue fatigue.

The retirees are urged to join a centre where Yoga is being taught using correct methods.

This gives the mental peace and flexibility to body.



d. **Have a balanced diet**



Need to take multi-nutritious food including fibers, fruits, vegetables. Also need to maintain balance on intake of oily food and junk food.

b. Have a family and friendship circle.

More and more you are happy with your family members and friends it is proved that the chances of death from cardiac or accidental death.

c. Health Walk

Need to do regularly which helps in proper digestion and avoiding weight gain. Walking exercise needs to be done regularly with comfortable workout clothes.



“SENIOR CITIZENS AS OTHERS, MUST BE HEALTHY & ALSO FEEL HEALTHY”

SAVINGS AND INVESTMENT AFTER RETIREMENT

It is advisable that the retired employees shall invest their hard earned money in savings schemes and investment plans offered by Nationalised Banks, Post Offices and Government sponsored investments for safety and security. The following are the schemes available to Senior citizens for safe investment.

- (i) Senior citizen savings scheme available in all Nationalised banks -rate of interest – 9%, tenure of the deposit 5 years, maximum investment limit 15,00,000/-.
- (ii) SBI – Resident Indian Senior Citizen Deposit- interest rate variable on number of days and the minimum rate of interest is 7% and maximum up to 9.75%. Senior citizens will get 0.5% higher rate of interest Fund is sent through ECS to the bank which the retired employee has opted for payment.
- (iii) Fixed deposit (in nationalize banks) higher interest rate for senior citizens. - The rate of interest varies from Bank to Bank and depends on the period of deposit.
- (iv) Savings Bank account scheme – higher interest rate for senior citizens. This is a popular scheme in all nationalized banks.
- (v) Post Office schemes for senior citizens- A new avenue of investment return for senior citizens. The retired employees can contact any nearby post office.

The interest rate and period of deposit may change from time to time for the above schemes and investment plans so that the retired employees may confirm with the concerned financial institutions / postal authorities before they invest their money.

The investment plans and schemes are only indicative and hence the retired employees are advised to update and get more information by contacting the appropriate authorities of the Banks/Post Offices.

Frequently asked questions:

01. Can a Retiring employee receive his Pension through any Bank?

Retired employees can receive pension only through authorised Nationalized banks and not through private / commercial / other scheduled banks. The list of Pensionable nationalized Bank branches within Maharashtra which is available with Personnel branch & Accts. and Welfare Inspectors, can be verified.

2. What are the lists of documents that the retiring employee would receive on the “Settlement Function”?

Pension Payment Authority Letter, Calculation Sheet, Service Certificate, Medical Identity card, Pensioner’s Identity Card, Post retirement Pass Identity Card, Silver Medal (Gold-Plated). Payment of settlement dues i.e Gratuity, Commutation, Leave encashment, Group Insurance and Provident Fund are sent through NEFT to the Bank which the retired employee has opted for payments.

3. When will the Retired employee receive the first Pension soon after his Retirement?

The Pensioner will receive the first Pension within a period of 3 months after his retirement.

4. Where will the Pensioner get the PPO (Pension Payment Order)?

As stated above, the PPO will be issued by the Personnel Branch during settlement. Two Copies of the Pension Payment Orders are dispatched from Sr DFM (Finance Dept.) to the Link Branch in the first week of the month, following retirement. The link branch on receipt of the copies of PPO will transfer the same to the Payee Branch (Bank opted by the Retired employee for drawal of pension) by the second or third week. The payee branch after posting necessary entries will intimate the Pensioner by fourth week or fifth week.

5. Can the retiree transfer his Pension from one Branch to another Branch of the same Bank? What are the steps to be taken?

*Yes. A pensioner can transfer his Pension account from one Branch to another Branch of the **same** Bank. A letter of Intimation to the Payee Branch to be given by the retiree and the concerned bank will process the transfer.*

6. Can a Pensioner transfer his Pension from one Branch to another Branch of a different bank?

Yes. The pensioner can transfer his Pension from one Branch to another Branch of a different Bank. The Pensioner along with the letter of request will surrender the Pensioner's copy of the PPO from where the pensioner was drawing his pension. The concerned Bank Authorities will transfer the PPOs (both Pensioner's copy as well as the Banker's copy to the Link Branch). The Link Branch in turn, will ensure that both the PPOs are delivered to FA&CAO/HQ.CSMT On receipt of the same, Pension Department of Pune Division will endorse the change of Bank in both the copies of the PPO and will send them to the Bank as opted by the Pensioner, through the concerned LINK Branch. It may take a minimum period of 60 days for the transfer to take effect.

7. What are the steps involved for obtaining a duplicate PPO if the PPO is lost?

The pensioner can simply apply for a duplicate from the Bank or From Divisional Accounts office, Pune.

8. Is it possible to transfer the retiree's Pass A/c. from Division to a place of his request?

Yes. The retired employee may, if he so desires, transfer his Pass Account from DRM(P) to a Pass Issuing Authority of his nearest station. The same could be done by a letter of request addressed to APO/Pune. A letter duly intimating the Balance of Post Retirement Passes with Family Composition will be forwarded from DRM/Pune P Branch to the Authority concerned.

9. Is it possible to transfer a retiree's Medical A/c. from Division to a place of his request?

Yes. The retired employee may, if he so desires, transfer his Medical Account from Division to a Hospital /Health Unit of his choice which is closer to his place of residence. This can be done by a letter of request addressed to APO/Pune-CMS/Pune. Necessary endorsement of transfer will be made on the Medical Identity Card by the CMS Hospital Authorities and a letter duly intimating the transfer will be forwarded to the authority concerned.

10. Can a retiree avail Composite Transfer Grant after a period of One year after his Retirement?

Normally CTG will be granted if the request is within a period of one year. If the request is beyond a period of one year the same will require the approval of the General Manager. The retired employees are urged to submit their claims if any within one year.

11. What are the documents required for availing the Composite Transfer grant on retirement?

Merely the proof for change of residence is sufficient to claim CTG and the same shall be claimed within one year from the date of retirement and beyond one year, GM has power to condone the delayed claim. (Authority Railway Board Letter. No.E(I)98 AL-28/10, dt.01.05.1998 and No.F(E)I/2008/AL-28/15, dt.01.12.2008).

12. What are the entitlements regarding Post Retirement Passes/PTOs of the retiree on the year of his retirement and in the years following his retirement?

On the year of retirement, irrespective of the month the employee retires, he will be eligible for the normal full entitlement of three sets of passes. The employee therefore has to plan the drawal of passes in such a manner, that it shall not exceed the 3 sets of passes due in his year of retirement . (For Example- if two sets are availed before Retirement, then the balance 1 set only could be drawn after retirement. From the year following the year of retirement he will be eligible as per his eligibility. As regards PTOs, the retiree cannot avail PTOs after his retirement though he would have had unavailed PTOs at his credit.

13. Is there any system of Grievance Redressal for Pensioners of ICF?

A Pension Adalat is conducted Twice by Pune Division every year on 15th of June & 15th December for redressing the grievances of retired employees. The employees may submit their representations addressed to APO/Welfare, well in advance soon after an advertisement is published in the local Dailies. They may attend the Pension Adalats in person and get their grievances redressed. Even otherwise their representations will be examined and suitable action will be taken duly sending a reply to the Pensioner.

14. What should a retired employee do to release his withheld Gratuity on vacation of his quarters, which was retained in terms of extant rules?

A retired employee who wishes to continue his stay in quarters will be allowed extension of quarters for a period of 4 months from the date of retirement. He will be permitted for an extension of another four months on medical / academic grounds by submitting a specific request with supporting documents. However, within the permitted period of extension the retired employee has to vacate the quarters and intimate the same to the Administration along with his new address of settlement. During the period of extension the retired employees Retirement Gratuity will be withheld and only on vacation of quarters and submission of letter intimating the same; the retirement gratuity, which was withheld/ will be released to the employee.

15. Where will the retired employee receive his last month salary?

The retired employee will receive his last month's salary as usual through the bank in which he was drawing his monthly salary. However in the case of Artisan Staff & Supervisory staff unclaimed incentive amount will be sent through ECS to the bank where he is drawing his pension.

16. What are the documents required to be surrendered by the retiring employee to Division.?

The retiring employee on or before the date of retirement shall surrender the following documents to the authorities mentioned below: Medical card, Employee Identity Card, RC Pass and SIM card (if any) – to the SSE/Controlling officer of the Shop/pay unit concerned or to handover to the official as directed by him.

17. Whether the services rendered in Defence will count for (a) Post Retirement Pass (b) Medical benefits?

(a) No, the service rendered in Defence will not count for Post Retirement pass. (Rly.Board Lr.No. E(W)2006 PS 5-1/28 dated 08.05.2008.

(b) No, the service rendered in Defence will not count for Post Retirement medical benefits.

18. What should a Retired employee/Family member do in the event of Loss of Medical Id Card / Pensioner Identity Card.?

Being a valuable document, the Retired employees are requested to keep the Medical Identity Card/Pensioners Identity Card in safe custody. However, in the event of loss of any of these Identity Cards, the retired employee or any of the family members has to present the request of issue of duplicate Identity Card to the Personnel Branch with the copy of FIR lodged with police about the loss of card and Cash receipt for payment of Rs.35/- towards penalty.

19. Whether (a) Passes of last year a/c can be availed in the current year

(b) Passes of Next year can be availed in the current year?

a) Unavailed Passes of the previous year can be availed during the current year. However they have to be availed before 30th May and their validity is upto 30th May only.

b) During the last quarter (i.e. October-December) the Retired Employees can avail passes from the next year account also for advanced reservation purpose. These advance passes are valid only from 1st of January of the next year.

20. What should a family member do in case of demise of the pensioner/ family pensioner?

In case of death of the pensioner/family pensioner, the spouse/ dependent should inform the pension disbursing authority about the demise with a copy of death certificate. They should also intimate the Division Administration at Bills section, Settlement Section/PB and Pension section/Accounts with a copy of the death certificate of the deceased pensioner/family pensioner. In case of the death of the pensioner, the spouse should also approach the pass/medical card issuing section of Personnel Branch and update the Pass/RELHS ID card duly deleting the name of the pensioner.

21. What should the pensioner/family pensioner do for inclusion/deletion of dependents in post retirement pass /RELHS card ?

For inclusion/deletion of dependents, the pensioner/family pensioner should provide required details to post retirement pass/medical card section by submitting the relevant documents when the dependents become eligible/ineligible as the case may be.

22. What is pension ?

Ans: Pension is payable to a Railway employee on attaining the age (60 years) of superannuation after being declared medically unfit , after compulsory retirement or voluntary retirement or if he is discharged owing to abolishment of post shall be entitled for Railway Pension

23. Who are eligible for pension ?

Ans: Staff those who were in service on or after 16.11.1957

All those employees not governed under SRPF (Cont) Rules as on 01.01.1986
The pension scheme is eligible to those employees appointed upto 31.12.2003.

24. Since when was family pension introduced ?

Ans: 1-1-1964 (Railway Boards letter No F(P)63 PN 1/40 dated 17.01.1964 ated 04.07.1964)

25. What is the percentage of pension given as ordinary family pension at present?

Ans: 30 % of Basic Pay (Subject to minimum of Rs 9000)

26. What is minimum family pension?

Ans: Before 1.1.2016 was Rs 3500 and after 1.1.2016 it is Rs 9000

27. *Whether unmarried daughter above the age of 25 yrs is eligible for family pension?*

Ans: Yes w.e.f. 06.09.07 (RBE 116/07)

28. *Who are eligible for family pension ?*

Ans : Wife or wives including judicially separated wife/wives in case of male servant.

A. Husband including judicially separated

B. Son including step son , adopted son till attaining the age of 25 or employed whichever is earlier.

C. Daughter , step daughter and adopted daughter / widow and divorced daughter provided she is dependent on the last pensioner .

D. Father and Mother Including adoptive parents

29. *Whether unmarried daughter is eligible for family pension ?*

Ans: Unmarried daughter is eligible for family pension.

30. *Till what date she is eligible for family pension ?*

Ans: Till the date of marriage or death whichever is earlier .

31. *Whether physically handicapped , mentally retarded child is eligible for family pension ?*

Ans: Yes. Child having 40% or more disability and not having any source of income or having income less than 9000/ p.m . is eligible for family pension.

32. *When is he eligible?*

Ans: He is eligible for family pension when his turn comes.

33. *Whether the pensioner should declare the name of handicapped child at the time of his retirement?*

Ans: Yes the Pensioner should can declare his name and get recorded in the records at the time of retirement .

34. *Whether a divorced daughter is eligible for family pension ?*

Ans: Yes provided the divorce is finalized or filed when the pensioner is alive and should be fully dependant on the pensioner.

35. *What is the formula for Commutation of pension?*

Ans: Formula for Commutation: 40 % of Pension x 12 x Relevant Age factor.

36. Whether pensioner can commute less than 40 % of his pension?

Ans: Yes , he can opt commutation less than 40% of his pension.

37. What is retirement gratuity?

Ans: This is lump sum payment to a Railway Servant on his retirement or medical invalidation.

38. What is the maximum amount of DCRG?

Ans: Rupees 20 lakhs

39. What is the maximum qualifying service for computation of gratuity ?

Ans: Maximum qualifying service is 33 years.

40. What is formula for calculation of Gratuity?

Ans: Last Pay drawn + Dearness Allowance X Qualifying Service/2..

Have a Happy, Healthy, and Peaceful Retired Life.

Disclaimer

This handbook is prepared in a simple language and contains relevant information regarding the settlement benefits. Please note that this handbook is not a replacement of the existing Railway Rules and should not be quoted as a reference. In case of any variation or doubts, it is essential that the relevant codes, Manuals are referred to.



WATHAR STATION



DECCAN QUEEN